सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड I)

2022-23

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वित्त लेखे (खण्ड I)

वर्ष 2022-23 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड I		
■	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	iii -vii
■	वित्त लेखे की निर्देशिका	ix-xiv
विवरण 1	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण	4-6
	अनुबंध क- रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश	7
विवरण 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	8-10
विवरण 4	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	11-15
विवरण 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	16-20
विवरण 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	21-22
विवरण 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण	23-24
विवरण 8	सरकार के निवेशों का विवरण	25
विवरण 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	26
विवरण 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	27-28
विवरण 11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	29
विवरण 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण	30-32
विवरण 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार	33-34
■	वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ	35-51
खण्ड II		
भाग I विस्तृत विवरणी		
विवरण 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	54-87
विवरण 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	88-146
विवरण 16	लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	147-267
विवरण 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	268-283
विवरण 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	284-329
विवरण 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	330-350
विवरण 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण	351-356
विवरण 21	आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	357-369
विवरण 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेशों का विस्तृत विवरण	370-374

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
भाग II परिशिष्ट		
परिशिष्ट I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	376-384
परिशिष्ट II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय	385-391
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	392-443
परिशिष्ट IV	बाह्य संपोषित परियोजनाएँ का ब्यौरा	444-447
परिशिष्ट V	स्कीम व्यय	448-511
	क. केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	
	ख. राज्य राज्य स्कीम	
परिशिष्ट VI	केन्द्रीय योजना निधि का राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरण (राज्य बजट से बाहर निधियों का परिचालन) (अअंकेक्षित आंकड़े)	512-545
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकार्यता तथा मिलान	546-548
परिशिष्ट VIII	सिंचाई निर्माण कार्यो के वित्तीय परिणाम	549-550
परिशिष्ट IX	सरकार की प्रतिबद्धता-अपूर्ण पूँजीगत कार्यो की सूची	551-648
परिशिष्ट X	वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से के अलगाव के साथ अनुरक्षण व्यय	649-653
परिशिष्ट XI	बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय	654
परिशिष्ट XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	655
परिशिष्ट XIII	राज्य का पुनर्गठन- मदें जिसके शेषों का विभाजन राज्यों के बीच अंतिम रूप से नहीं हुआ है	656-659

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

बिहार सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे वर्ष 2022-23 के लिए उचित वित्तीय स्थिति और राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान की गयी लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही बिहार सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे बिहार सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए बिहार के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे सम्बंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों का संकलन करने एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखे वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और बिहार सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किये गये हैं।

इस संकलन में विवरणी 8, 9, 10, 15 (अनुलग्नक-I), 17(ख), 17(ग), 19 और 20 और परिशिष्ट III, IV, IX, XI और XII सीधे बिहार सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किये गए हैं, जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसे लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्त्व

मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:

1. ₹325.56 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष की शेष राशि ₹279.12 करोड़ का कम हस्तांतरण योग वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त हस्तांतरित ₹46.44 करोड़) को 31 मार्च 2023 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अंतरित की जानी बाकी थी।

   (वित्त लेखा टिप्पणी 5(i))

2. राज्य सरकार के विभागों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के खातों से ₹6,149.29 करोड़ के 4,382 एसी विपत्र आहरित किए, जिनमें से बजट प्रावधानों का पूरा उपयोग करने के लिए ₹2,106.98 करोड़ (34.26 प्रतिशत) के 1,209 एसी विपत्र मार्च 2023 में आहरित किए गए।

   इसके अलावा, सितंबर 2022 तक निकाले गए ₹7,489.05 करोड़ की राशि के 27,392 एसी बिल 31 मार्च 2023 तक बकाया थे, जिनमें से ₹3,219.52 करोड़ (43 प्रतिशत) पूँजीगत निर्माण से संबंधित थे।

   (वित्त लेखा टिप्पणी 3(vi))

3. वर्ष 2022-23 में देय हुए ₹87,947.88 करोड़ के 41,755 उपयोगिता प्रमाणपत्र (30.09.2021 तक निकासित), बिहार सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान के विरूद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकारों द्वारा समर्पित नहीं किये गये।

   (वित्त लेखा टिप्पणी 3(vii))

4. सीएफएमएस के अनुसार, मार्च 2023 के अंत तक 242 प्रशासकों के पीडी खातों में ₹3,858.05 करोड़ जमा थे। 05 व्यक्तिगत जमा खातों जिनमें ₹1.54 करोड़ की राशि जमा है, को अभी तक व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीटीएमआईएस) से व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) में अंतरित नहीं किया गया है।

   (वित्त लेखा टिप्पणी 3(v))

5. वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य ने ₹25,159.20 करोड़ की गारंटियाँ जारी की 31 मार्च 2023 तक कुल बकाया गारंटियों की राशि ₹25,939.25 करोड़ (ब्याज सहित) है।

हालाँकि राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार न तो गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया और न ही गारंटी की अधिकत्तम सीमा निर्धारण हेतु किसी तरह का नियम बनाया गया।

(वित्त लेखा टिप्पणी 3(ix))

6. पिछले कई वर्षों से, बिहार सरकार राजस्व और पूंजीगत मुख्यशीर्षों के लेखे को नामे करके, समेकित निधि से राशि को लोक लेखे (विशेष रूप से डिपोजिट खातों यथा मुख्य शीर्ष 8448) में स्थानांतरित कर रही है। इस प्रकार स्थानांतरित की गई राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में लेखों में लिया जाता है जबकि वास्तविक व्यय वर्ष के दौरान हुआ है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित नहीं है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹18,745.89 करोड़ डिपोजिट खातों में अंतरित किये गये।

(वित्त लेखा विवरणी 21)

7. विगत चार वर्षों में ₹53,003.35 करोड़ के व्यय को संबंधित व्यय शीर्षों में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें वाउचर, उप-वाउचर, स्वीकृत्यादेश/चलंत विपत्र एवं अन्य सहायक दस्तावेजों के अभाव में शीर्ष 8658-102-उचंत खाता (सिविल) के अंतर्गत रखा गया है, जो व्यय के प्रमाण के रूप में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹2,725.00 करोड़ ओबी उचंत खाता में डाले गए हैं और ₹3,713.42 करोड़ जो कि पिछले वर्षों से संबंधित थे को समाशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय ₹988.42 करोड़ (राजस्व व्यय आधिक्य: ₹1,333.00 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय को न्यूनत: ₹344.58 करोड़) से अधिक बताया गया है। मार्च 2023 के अंत में शीर्ष 8658-102-उचंत खाता (सिविल) के तहत प्रगामी शेष राशि ₹13,832.20 करोड़ है।

(वित्त लेखा विवरणी 21 और टिप्पणी 3(xix))

मामले के महत्व खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरा अभिमत संशोधित नहीं हुआ है।

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 08 दिसंबर 2023
स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की निर्देशिका

क. सरकारी लेखे के संरचना का वृहद् सार

1. बिहार सरकार के वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे के साथ-साथ राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर परिकलित राज्य सरकार के लोक-ऋण एवं देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे के साथ विनियोग लेखे होते है जो अनुदानों/विनियोगों के द्वारा किये गये व्यय की तुलना दर्शाते है।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बन्धपत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित किए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के अदायगी हेतु सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राशि सम्मिलित है। इस निधि से राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित एवं भारत के संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों तथा प्रदत्त रीतियों के अनुरूप हो। निश्चित श्रेणियों के व्यय (यथा, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण अदायगियाँ आदि) राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होते हैं तथा उनके लिए विधानमंडल के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमंडल द्वारा मतदेय होते हैं।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं : राजस्व एवं पूँजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत बाँटा गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों, यथा-'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। इन तीन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे-'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवायें' आदि में बाँटा गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग में खण्ड या उप-खण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों, यथा-'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। राजस्व व्यय के इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे- 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' आदि में बाँटा गया है। पूँजीगत व्यय अनुभाग को सात खण्डों, यथा-'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें', 'लोक-ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय परिशोधन' तथा 'आकस्मिकता निधि में अंतरण' में उपविभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे विधायिका विधि द्वारा स्थापित करती है एवं जो अप्रत्याशित व्यय जिसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित होता है, के वहन के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु राज्यपाल के अधीन होता है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य के समेकित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे डालकर की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि ₹350 करोड़ है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार या सरकार की ओर से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर या न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में पुनर्भुगतान योग्य जैसे-अल्प बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के साथ उपलब्ध निवल रोकड़ शेष को भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा में छः खण्ड शामिल हैं, यथा-'लघु बचत', 'भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष'। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में उपविभाजित किया गया है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

3. सरकारी लेखे एक छः स्तरीय वर्गीकरण के अधीन दर्शाए जाते हैं; यथा-मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो) तथा विषय शीर्ष (दो)। मुख्यशीर्ष सरकार के कार्यों को, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों को, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को तथा विषय शीर्ष व्यय के उद्देश्य/विषय को दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति सम्मिलित है (31 मार्च 2023 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार)-

0005 से 1606	-	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	-	राजस्व व्यय
4000	-	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	-	पूँजीगत व्यय (लोक- ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)
7999	-	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	-	आकस्मिकता निधि
8001-8999	-	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों का उल्लेख करता है। वित्त लेखे में आँकड़ों को निवल स्तर पर दर्शाया जाता है अर्थात, वसूलियों के लिए व्यय में कटौती के रूप में लेखांकन के बाद। यह प्रक्रिया विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत अनुदानों के लिए मांग में तथा विनियोग लेखे में वर्णन से भिन्न है, जहाँ व्यय को सकल रूप में दर्शाया जाता है।

6. लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

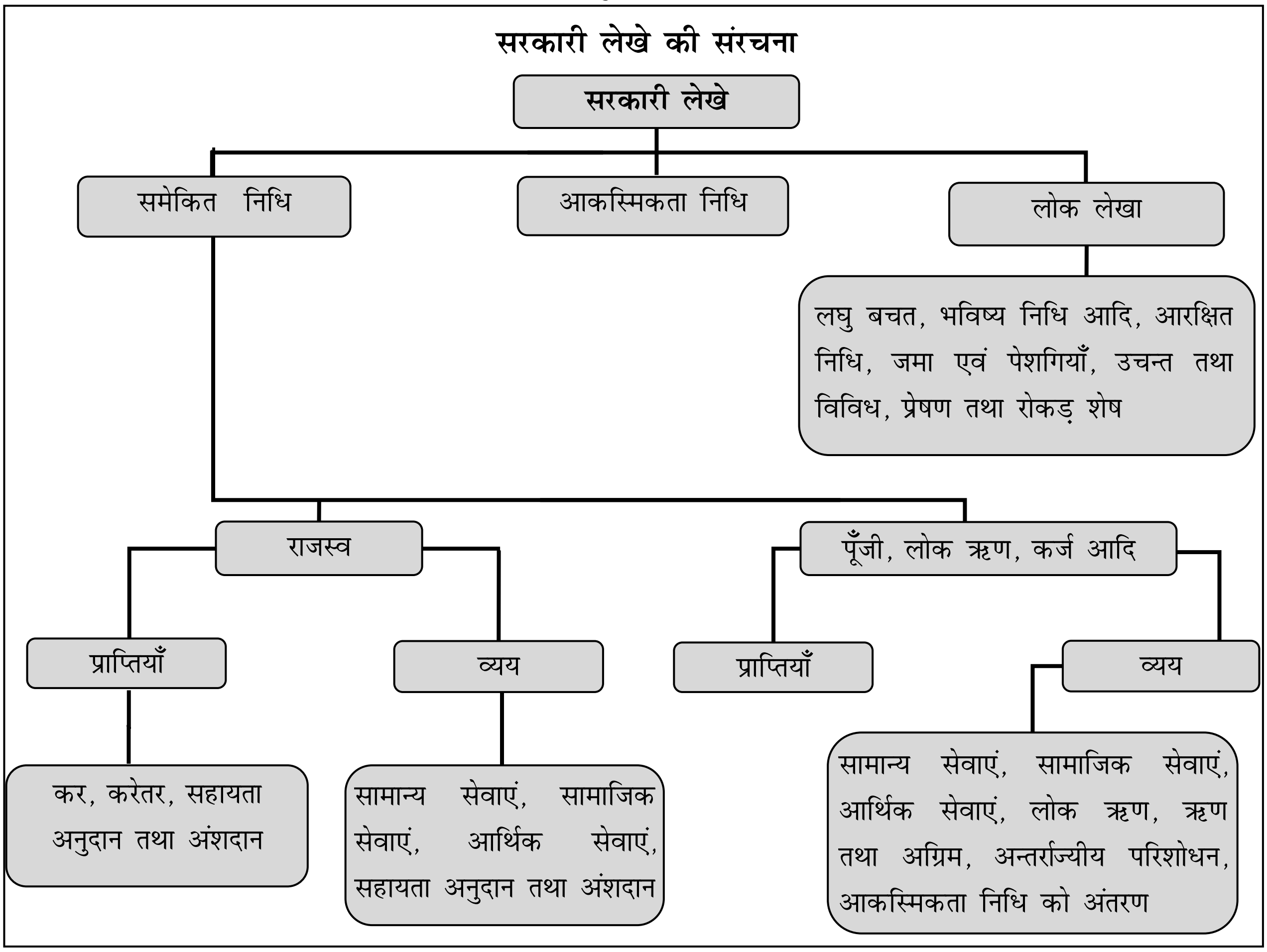

ख. वित्त लेखे में क्या सन्निहित होते हैं

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की निर्देशिका, 13 विवरणियाँ जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना प्रदान करते है, लेखे पर टिप्पणियाँ तथा लेखे पर टिप्पणियों का एक परिशिष्ट सन्निहित होता है। **खण्ड I** में **13** विवरणियों के ब्योरे नीचे दिए गए है:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है।
2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा- समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूचि शामिल होता है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण:** सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि' तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है।

9. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण:** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जो पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है।

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे- सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्त्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

11. **दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण:** यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।

12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार:** यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।

वित्त लेखे और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के लिए टिप्पणी

वित्त लेखे के टिप्पणी प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेन, लेनदेन के श्रेणी, शेष राशि आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त लेखे के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर, भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं, खातों के रूप, पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्त लेखे के खण्ड-I में वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ में शामिल हैं।

वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं- भाग- I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।

खण्ड II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।

15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।

16. **लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है।

17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है । यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है।

18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण ईकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।

20. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का ईकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।

21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए शेषों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

22. **उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग-II में 13 परिशिष्ट होते हैं जिसमें विभिन्न विषयों वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य संपोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय स्कीमों एवं राज्य स्कीमों से संबंधित स्कीमवार व्यय आदि सम्मिलित होता है। लेखे में इनके ब्योरे को उपशीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु शीर्ष से नीचे) तक दर्शाया जाता है और प्राय: इन्हें वित्त लेखे में दर्शाए नहीं जाते हैं। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I या II में 'विषय सूची' पर दृष्टिगोचर होता है। परिशिष्टों के साथ पठित वित्त लेखे के विवरणी और टिप्पणियाँ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करती हैं।

ग. सहज तालिका

निम्न अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणियों को खण्ड II में विस्तृत विवरणियों तथा परिशिष्टों के साथ जोड़ता है। (उन परिशिष्टों को जिनका संक्षिप्त विवरणियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, नीचे नहीं दिखाए गए है):

मानदण्ड	**संक्षिप्त विवरण (खण्ड-I)**	**विस्तृत विवरण (खण्ड-II)**	**परिशिष्ट**
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियॉ	2, 3	14	.
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2,10	-	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गए ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	-
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	-
सरकार द्वारा कम्पनियों एवं निगमो में निवेश आदि	8	19	-
रोकड़	1, 2, 12, 13	-	-
लोक लेखा शेष एवं तत्संबंधी निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	-
गारंटियाँ	9	20	-
योजनाएँ	-	-	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएँ)

संक्षिप्त विवरणी

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ *करोड़ में*)

परिसंपत्तियाँ[1]	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
रोकड़			**22,903.95**	**29,478.66**
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष		21	234.65	234.65
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	765.46	762.40
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	14,069.82	22,070.25
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	805.90	671.24
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश[2]		22	7,028.12	5,740.12
पूँजीगत व्यय		16	**2,90,886.03**	**2,59,366.21**
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश		8	39,024.62	35,436.02
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय			2,51,861.41	2,23,930.19
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)			0.00	0.00
कर्ज तथा उधार		18	**25,209.64**	**23,194.36**
सिविल अग्रिम		21	**249.96**	**249.96**
उचंत तथा विविध शेष[3]		21	**14,416.78**	**15,616.59**
प्रेषण शेष		21	**1,125.96**	**1,125.96**
प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई[4]			0.00	0.00
जोड़ :			**3,54,792.32**	**3,29,031.74**

[1]परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आँकड़ें संचयी हैं। कृपया ''वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ'' अनुभाग में टिप्पणी 1(v) भी देखी जाय।

[2]उद्दिष्ट निधियों से निवेश पूँजीगत व्यय में शामिल नहीं हैं।

[3]इस विवरण के पंक्ति मद 'उचंत तथा विविध शेष' में मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा के अंतर्गत ₹14,416.21 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8679-अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे के अंतर्गत ₹0.57 करोड़ शामिल है।

[4]व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई या प्राप्तियों से व्यय की संचयी अधिकाई एक दूसरे से भिन्न है और वर्त्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व हानि नहीं है।

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ *करोड़ में*)

देयतायें	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			**2,42,845.73**	**2,08,913.28**
(i) आंतरिक ऋण		17	2,08,098.10	1,82,855.32
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		17	34,747.63	26,057.96
योजनेतर कर्ज		17	0.58	0.58
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	191.29	191.29
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	1.01	1.01
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कर्ज		17	0.53	0.53
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज		17	33.10	36.42
अन्य कर्ज		17	34,521.12	25,828.13
अन्तर्राज्यीय परिशोधन		12	**74.01**	**74.01**
आकस्मिकता निधि (संग्रह)		21	**350.00**	**350.00**
लोक लेखा पर देयताएं			**57,660.87**	**54,544.54**
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि		21	9,396.88	9,521.65
(ii) जमा		21	38,437.96	38,033.80
(iii) आरक्षित निधि		21	9,654.72	6,781.61
(iv) प्रेषण शेष			0.00	0.00
(v) उचंत तथा विविध शेष		21	171.31	207.48
व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई[5]		12	**53,861.71**	**65,149.91**
जोड़ :			**3,54,792.32**	**3,29,031.74**

[5]आँकड़ा ₹53,861.71 करोड़, कुल पूँजीगत तथा अन्य व्यय और निधियों के प्रमुख स्रोतों का निवल परिणाम है। विस्तृत ब्योरा विवरणी 12 में दिया गया है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**1,72,688.02**	**1,58,797.33**	**राजस्व व्यय** *(संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	**1,83,976.22**	**1,59,219.71**
कर राजस्व (राज्य द्वारा अधिरोपित) *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**44,017.73**	**34,854.54**	वेतन[1] *(संदर्भ. विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-I)*	24,816.02	23,524.52
करेतर राजस्व *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**4,134.90**	**3,984.34**	सहायता अनुदान[2] *(संदर्भ. विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)*	79,940.88	65,015.01
			सब्सिडी *(संदर्भ. परिशिष्ट-II)*	14,827.79	10,256.02
ब्याज प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	642.03	722.47	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ. विवरण 4 एवं 15)*	**44,305.03**	**38,610.89**
अन्य *(संदर्भ. विवरण 3)*	3,492.87	3,261.87	पेंशन *(संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	23,107.87	20,257.58
			ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवा *(संदर्भ. विवरण 4- क, 4-ख एवं 15)*	16,471.54	13,821.93
			अन्य *(संदर्भ. विवरण 4-ख)*	4,725.62	4,531.38
संघीय कर/शुल्क में हिस्सा *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**95,509.85**	**91,352.62**	**सामाजिक सेवाएं** *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)*	**13,555.91**	**17,501.91**
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)*	**6,530.48**	**4,311.04**
केन्द्रीय सरकार से अनुदान *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**29,025.54**	**28,605.83**	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**[3] *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)*	**0.11**	**0.32**
राजस्व घाटा	**11,288.20**	**422.38**	**राजस्व आधिक्य**	**0.00**	**0.00**

[1]एक समेकित आँकड़ा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रभागों (सामान्य सेवायें- ₹11,724.14 करोड़, सामाजिक सेवायें- ₹74,792.57 करोड़ तथा आर्थिक सेवायें- ₹33,067.97 करोड़) के वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान संबंधी आँकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणी में दर्शाये गये 'सामान्य', 'सामाजिक' तथा 'आर्थिक सेवाओं' के प्रभागाधीन व्यय के अन्तर्गत वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान सम्मिलित नहीं हैं (पाद टिप्पणी-2 में व्याख्यायित)।

[2]राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान दिया जाता है, जिसे ऊपर एक पंक्ति मद के रूप में दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले शुल्क, करों के क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन से भिन्न है जिसे ''स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन'' के रूप में अलग से पंक्ति मद में दिखलाया गया है।

[3]मुख्य शीर्ष 3604 के अंतर्गत लेखांकित राशि।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
अनुभाग-ब : पूँजी					
पूँजीगत प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)*	**0.00**	**0.00**	**पूँजीगत व्यय** *(संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)*	**31,519.82**	**23,678.29**
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)*	3,254.88	3,507.49
			सामाजिक सेवाएं [4] *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)*	5,967.30	5,153.72
			आर्थिक सेवाएं [5] *(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)*	22,297.64	15,017.08
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ *(संदर्भ. विवरण 3, 7 एवं 18)*	**41.49**	**27.92**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिमों** *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	**2,056.77**	**1,478.51**
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	0.00	0.00
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	1,396.92	682.15
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)*	632.93	767.60
			अन्य *(संदर्भ. विवरण 7)*	26.92	28.76
लोक ऋण प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)*	**48,283.52**	**40,444.90**	**लोक ऋण की वापसी** *(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)*	**14,351.07**	**8,746.47**
आंतरिक ऋण[5] (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) *(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)*	38,128.98	30,917.46	आंतरिक ऋण[5] (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) *(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)*	12,886.20	7,619.64
भारत सरकार से कर्ज *(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)*	10,154.54	9,527.44	भारत सरकार से कर्ज *(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)*	1,464.87	1,126.83
अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)	**0.00**	**0.00**	**अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)**	**0.00**	**0.00**
समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ *(संदर्भ. विवरण 3)*	**2,21,013.03**	**1,99,270.15**	**समेकित निधि से कुल व्यय**[6] *(संदर्भ. विवरण 4)*	**2,31,903.88**	**1,93,122.98**
समेकित निधि में घाटा	**10,890.85**	**0.00**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**0.00**	**6,147.17**

[4] वर्ष 2022-23 के लिए सामाजिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515, 4700 एवं 4711 से संबंधित वेतनादि पर व्यय ₹0.14 करोड़ सन्निहित है।

[5] पुनर्भुगतान से संबंधित राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लेन-देनों की राशि क्रमश: वर्ष 2021-22 में ₹1,888.35 करोड़ एवं 2022-23 के लिए ₹1,888.35 करोड़ का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

[6] उचंत खाते में रखे गये ₹2,725.00 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि एनटीएफए के पैरा 3(xix) में उल्लेखित है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
भाग - II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00	**आकस्मिकता निधि** *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00
भाग - III लोक लेखा[8]					
अल्प बचत *(संदर्भ. विवरण 21)*	2,561.26	2,593.14	**अल्प बचत** *(संदर्भ. विवरण 21)*	2,686.04	2,516.86
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ *(संदर्भ. विवरण 21)*	4,290.96	3,187.31	**आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ** *(संदर्भ. विवरण 21)*	2,705.85	3,046.89
जमा *(संदर्भ. विवरण 21)*	74,814.83	71,302.22	**जमा** *(संदर्भ. विवरण 21)*	74,410.66	72,902.64
अग्रिम *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00	**अग्रिम** *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	0.00
उचंत तथा विविध[9] (संदर्भ. विवरण 21)	6,28,347.23	5,55,414.99	**उचंत तथा विविध**[9] (संदर्भ. विवरण 21)	6,19,186.22	5,59,801.47
प्रेषण *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	(-)1.64	**प्रेषण** *(संदर्भ. विवरण 21)*	0.00	5.88
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा *(संदर्भ. विवरण 21)*	7,10,014.28	6,32,496.02	**कुल व्यय लोक लेखा** *(संदर्भ. विवरण 21)*	6,98,988.77	6,38,273.74
लोक लेखा में घाटा	0.00	5,777.72	**लोक लेखा में अधिशेष**	11,025.51	0.00
आदि रोकड़ शेष	671.24	301.79	**अंत रोकड़ शेष**	805.90	671.24
रोकड़ में वृद्धि	134.66	369.45	**रोकड़ में कमी**	0.00	0.00

[8]कृपया विस्तृत सूचना के लिए, भाग II के विवरणी 21 का संदर्भ लें।

[9]'उचंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' शामिल हैं, यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि। इन 'अन्य लेखे' के कारण आँकड़े वृहद रूप में प्रकट होते हैं। विस्तृत विवरण खण्ड II के विवरणी 21 में देखी जा सकती है।

विवरण 2 का अनुबंध क
रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च 2023 को अन्तशेष	1 अप्रैल 2022 को आदिशेष
(क)	**सामान्य रोकड़ शेष-**		
(1)	रिजर्व बैंक के पास जमा	805.90	671.24
(2)	रोकड़ शेष से किए गए निवेश लेखा	14,069.82	22,070.25
	जोड़- (क)	**14,875.72**	**22,741.49**
(ख)	**अन्य रोकड़ शेष और निवेश**		
(1)	विभागीय अधिकारियों यथा वन तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	234.65	234.65
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	765.46	762.40
(3)	उद्दिष्ट निधियों से निवेश	7,028.12	5,740.12
	जोड़-(ख)	**8,028.23**	**6,737.17**
	जोड़- (क) और (ख)	**22,903.95**	**29,478.66**

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य:- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत कोषागार में रोकड़ एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों के पास जमा तथा पारगमन में प्रेषण सम्मिलित है, जैसा पिछले पृष्ठ पर बताया गया है। 'रिजर्व बैंक के पास जमा शीर्ष' के अन्तर्गत शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को चित्रित करता है। समस्त रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषागारों, विभागों में रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष में से निवेश/आरक्षित निधि आदि 'रिजर्व बैंक में जमा' में जोड़कर की गई हैं।

'रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत शेष उस शेष का द्योतक है जो 11 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर्राज्यीय मुद्रा निपटारे को लेखा में शामिल कर लेने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 सरकारी लेखा के अनुसार निकलता है।

'रिजर्व बैंक में जमा' लेखे में प्रदर्शित राशि {₹805.90 करोड़ (नामे)} एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित राशि {₹193.60 करोड़ (जमा)} के बीच ₹612.27 करोड़ (नामे) का अन्तर था। यह अन्तर समाधान के अधीन है।

2. दैनिक रोकड़ शेष:- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को बैंक के पास ₹1.73 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता हैं। जब रोकड़ शेष करार के इस न्यूनतम शेष से किसी दिन कम पड़ जाता है तब इस कमी को समय-समय पर सामान्य एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट से पूरा किया जाता है। दैनिक रोकड़ शेष की गणना रिजर्व बैंक के द्वारा 14 दिवसीय कोषागार विपत्र के साथ सूचित लेन-देन (एजेंसी बैंकों के द्वारा सूचित रिजर्व बैंक के काउन्टर पर अन्तर्राज्यीय लेन-देन एवं कोषागार लेन-देन) के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष को 14 दिवसीय कोषागार विपत्र, यदि कोई हो, के परिपक्व मूल्य जोड़ने के बाद, अधिक शेष, यदि कोई हो न्यूनतम रोकड़ शेष के संधारण के पश्चात् कोषागार विपत्र में पुनर्निवेशित किया जाता हैं। यदि इस प्रकार प्राप्त निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम हो अथवा जमा शेष हो एवं उस दिन को परिपक्व कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो रिजर्व बैंक पुन: 14 दिवसीय कोषागार विपत्र को बट्टे पर जारी कर इस कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन के लिए कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट हेतु आवेदन करती है।

3. अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं:- राज्य सरकार के लिए 1 अप्रैल 2006 से ₹425.00 करोड़ के साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा है। सरकार के प्रतिभूतियों के विरूद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को देने के संबंध में बैंक ने भी सहमति दी हैं। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की निर्धारित सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में न्यूनतम शेष बिना कोई अग्रिम लिए बरकरार रखा गया।

4. रोकड़ शेष में से ₹14,065.82 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें 31 मार्च 2022 को भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (₹14,065.17 करोड़) और अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ (₹4.65 करोड़) है। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गये निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹276.23 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

5. राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया गया।

6. उद्धिष्ट निधियों में से किये गये निवेशों का ब्योरा खण्ड-।। में विवरण संख्या 22 में दिया गया है।

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)	
	विवरण	वास्तविकी	
		2022-23	**2021-22**
	I- कर तथा करेतर राजस्व		
क.	**कर राजस्व**		
क. 1	**स्वकर राजस्व**	**44,017.73**	**34,854.54**
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,881.25	6,871.70
	राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)	23,242.93	19,264.15
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,451.06	5,223.98
	माल तथा यात्री कर	1.32	(-)0.02
	वाहन कर	2,935.47	2,475.09
	भू-राजस्व	360.57	284.20
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	156.50	140.99
	राज्य उत्पाद शुल्क	1.19	(-)1.29
	अन्य	987.44	595.74
क. 2	**करों के निवल आगमों का हिस्सा**	**95,509.85**	**91,352.62**
	निगम कर	32,019.47	27,178.50
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	31,262.19	26,661.32
	सेवा कर	149.28	1,326.22
	संघ उत्पाद शुल्क	1,178.03	3,868.86
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)	0.00	0.00
	सीमा शुल्क	3,754.66	6,775.97
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)	26,989.02	25,442.20
	धन कर	0.00	6.38
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.00	0.19
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	157.20	92.98
	जोड़ - क	**1,39,527.58**	**126,207.16**
ख.	**करेतर राजस्व**		
	ब्याज प्राप्तियाँ	642.03	722.47
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,729.73	1,766.14
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियाँ	1.85	1.27
	लोक सेवा आयोग	67.83	40.26
	पुलिस	48.95	33.77
	सड़क तथा सेतु	(-)0.35	51.88
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	31.60	40.69
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	28.14	35.42
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	61.58	31.10
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	301.34	578.12
	मुख्य सिंचाई	83.00	40.59
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	5.83	509.13
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	35.23	30.80
	मध्यम सिंचाई	0.06	0.05
	श्रम तथा रोजगार	10.75	12.49
	जलापूर्ति तथा सफाई	2.70	4.87
	जेल	16.49	15.40
	मत्स्य पालन	18.77	13.01
	फसल कृषि-कर्म	5.42	5.97
	लोक निर्माण कार्य	17.22	22.04

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

				(₹ करोड़ में)
विवरण			वास्तविकी	
			2022-23	2021-22
ख.	सहकारिता		6.85	4.96
	शहरी विकास		3.47	1.08
	आवास		4.55	4.74
	लघु सिंचाई		3.20	5.52
	नागर विमानन		1.43	2.24
	विविध सामान्य सेवाएं		1.15	1.60
	पर्यटन		2.90	0.00
	लाभांश तथा लाभ		1.49	6.54
	पशुपालन		0.59	0.67
	सूचना तथा प्रचार		0.21	0.09
	भूमि सुधार		(-)0.05	0.03
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		0.07	0.37
	सड़क परिवहन		0.19	0.18
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण		0.16	0.04
	उद्योग		0.41	0.23
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग		0.01	0.12
	सिविल पूर्ति		0.10	0.45
	अन्य सामाजिक सेवाएं		0.00	0.00
	अन्य कृषि कार्यक्रम		0.00	0.00
	डेरी विकास		0.00	0.00
	अंतर्देशीय जल परिवहन		0.00	0.01
जोड़ - ख			**4,134.90**	**3,984.34**
	II- भारत सरकार से अनुदान			
ग.	**अनुदान**			
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान			
	योजनेतर अनुदान	अन्य अनुदान	0.00	0.00
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	अन्य अनुदान	(-)374.48	0.00
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		0.00	0.00
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		22,237.18	17,832.91
	वित्त आयोग अनुदान	राज्य आपदा रिस्पौंस निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	1,189.60	1,132.80
		अन्य अनुदान	5,543.05	5,944.76
	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	10.78	0.00
		राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस निधि में योगदान के लिए अनुदान	0.00	1,038.96
		जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व के क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा	183.66	1,945.08
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	226.47	447.06
		अन्य अनुदान	9.28	264.26
जोड़ - ग			**29,025.54**	**28,605.83**
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)			**1,72,688.02**	**1,58,797.33**

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

				(₹ करोड़ में)
विवरण			वास्तविकी	
			2022-23	2021-22
	III- पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ			
घ.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ**			
	विनिवेश से प्राप्तियाँ		0.00	0.00
	अन्य		0.00	0.00
	जोड़ - घ		**0.00**	**0.00**
ङ.	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**			
	आंतरिक ऋण		**38,128.98**	**30,917.46**
		बाजार कर्ज	36,800.00	28,517.46
		आर.बी.आई. से डब्ल्यू.एम.ए.[1]	0.00	0.00
		बंध पत्र	0.00	0.00
		वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	1,328.98	2,400.00
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
		अन्य कर्ज	0.00	0.00
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		**10,154.54**	**9,527.44**
		योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
		राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	10,154.54	9,527.44
	जोड़ - ङ		**48,283.52**	**40,444.90**
च.	**राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (वसूलियाँ)[2]**		**41.49**	**27.92**
छ.	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**		**0.00**	**0.00**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ[3] (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)		**2,21,013.03**	**1,99,270.15**

[1]डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय अग्रिम।

[2]विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 18 में हैं।

[3]विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 14 तथा 17 में हैं।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क-प्रयोजनवार व्यय *(₹ करोड़ में)*

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
क	**सामान्य सेवाएं**				
क.1	**राज्य के अंग**				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	215.16	0.00	0.00	215.16
	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	22.95	0.00	0.00	22.95
	मंत्रिपरिषद	30.36	0.00	0.00	30.36
	न्याय प्रशासन	1,283.47	0.00	0.00	1,283.47
	निर्वाचन	393.00	0.00	0.00	393.00
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**				
	भू-राजस्व	867.83	0.00	0.00	867.83
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	144.46	0.00	0.00	144.46
	राज्य उत्पाद शुल्क	308.85	0.00	0.00	308.85
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.07	0.00	0.00	0.07
	वाहन कर	111.15	0.00	0.00	111.15
	राज्य वस्तु और सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार	141.84	0.00	0.00	141.84
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.35	0.00	0.00	1.35
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	3.25	16.64	0.00	19.89
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
	ब्याज अदायगियाँ	15,183.54	0.00	0.00	15,183.54
क.3	**प्रशासनिक सेवाएं**				
	लोक सेवा आयोग	87.20	0.00	0.00	87.20
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	351.79	0.00	0.00	351.79
	जिला प्रशासन	553.23	0.00	0.00	553.23
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	80.66	0.00	0.00	80.66
	पुलिस	9,235.61	574.40	0.00	9,810.01
	जेल	509.81	0.00	0.00	509.81
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	10.18	0.00	0.00	10.18
	लोक निर्माण कार्य	637.13	1,596.45	0.00	2,233.58
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,465.49	1,067.39	0.00	2,532.88
क.4	**पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं**				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	23,107.87	0.00	0.00	23,107.87
	विविध सामान्य सेवाएं	(-)5.07 [1]	0.00	0.00	(-)5.07
	जोड़ - सामान्य सेवाएं	**56,029.18**	**3,254.88**	**0.00**	**59,284.06**
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति**				
	सामान्य शिक्षा#	40,987.09	1,315.54	1,396.92	43,699.55
	तकनीकी शिक्षा	363.04	0.00	0.00	363.04
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	78.98	0.00	0.00	78.98
	कला तथा संस्कृति	65.59	0.00	0.00	65.59
ख.2	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8,422.46	2,426.48	0.00	10,848.94
	परिवार कल्याण	960.57	0.00	0.00	960.57

[1] ऋणात्मक आँकड़े अधिक भुगतान की वसूलियों के कारण हैं।

सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं और कला तथा संस्कृति के लिए राजस्व व्यय हेतु अलग-अलग मुख्य शीर्ष है, किन्तु पूँजीगत परिव्यय के लिए ऊपर लिखित राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों के लिए एक ही मुख्य शीर्ष है। अतएव उक्त सभी कार्यकारी मुख्य शीर्षों से संबंधित व्यय की कुल राशि को एक ही पूँजीगत मुख्य शीर्ष (4202) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क-प्रयोजनवार व्यय *(₹ करोड़ में)*

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
ख.3	**जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास**				
	जलापूर्ति तथा सफाई	2,551.72	1,310.02	0.00	3,861.74
	आवास	12,574.94	314.25	0.00	12,889.19
	शहरी विकास	5,000.80	0.00	0.00	5,000.80
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रचार	187.95	0.00	0.00	187.95
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,864.94	73.58	0.00	2,938.52
ख.6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**				
	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	584.76	0.00	0.00	584.76
ख.7	**समाज कल्याण तथा पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9,840.79	509.83	0.00	10,350.62
	पोषण	1,810.76	0.00	0.00	1,810.76
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,939.40	0.00	0.00	1,939.40
ख.8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	28.33	17.60	0.00	45.93
	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	86.36	0.00	0.00	86.36
	जोड़ - सामाजिक सेवाएं	**88,348.48**	**5,967.30**	**1,396.92**	**95,712.70**
ग	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	**कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप**				
	फसल कृषि-कर्म	1,805.88	480.55	17.47	2,303.90
	मृदा तथा जल संरक्षण	204.40	0.00	0.00	204.40
	पशुपालन	395.54	0.00	0.00	395.54
	डेरी विकास	114.98	0.00	0.00	114.98
	मछली पालन	166.06	0.00	0.00	166.06
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	560.29	61.14	0.10	621.53
	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	434.12	97.70	0.00	531.82
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	361.47	0.00	0.00	361.47
	सहकारिता	516.85	9.89	0.00	526.74
	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.27	0.00	0.00	3.27
ग.2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2,096.69	0.00	0.00	2,096.69
	ग्राम रोजगार	1,573.11	0.00	0.00	1,573.11
	भूमि सुधार	4.93	0.00	0.00	4.93
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	9,636.12	6,218.08	0.00	15,854.20
C.3	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	मुख्य सिंचाई	602.54	1,207.61	0.00	1,810.15
	मध्यम सिंचाई	0.01	0.00	0.00	0.01
	लघु सिंचाई	175.27	460.03	0.00	635.30
	कमान क्षेत्र विकास	24.23	0.00	0.00	24.23
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	491.45	983.93	0.00	1,475.38

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क-प्रयोजनवार व्यय *(₹ करोड़ में)*

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
ग.4	**ऊर्जा**				
	बिजली	12,701.36	3,078.71	91.03	15,871.10
	नई और नवीकरणीय ऊर्जा	48.62	0.00	0.00	48.62
ग.5	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	636.33	1,392.24	524.33	2,552.90
	उद्योग	639.72	0.00	0.00	639.72
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	37.56	0.00	0.00	37.56
	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	0.00	130.83	0.00	130.83
	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	0.00	170.00	0.00	170.00
ग.6	**परिवहन**				
	नागर विमानन	3.52	0.00	0.00	3.52
	सड़क तथा सेतु	4,583.72	6,601.92	0.00	11,185.64
	सड़क परिवहन	131.49	7.76	0.00	139.25
	अन्य परिवहन सेवाएं	0.50	959.00	0.00	959.50
ग.7	**विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण**				
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2.26	0.00	0.00	2.26
ग.8	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**				
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	135.70	0.00	0.00	135.70
	पर्यटन	171.24	203.14	0.00	374.38
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	509.34	0.00	0.00	509.34
	सिविल आपूर्ति	814.72	0.00	0.00	814.72
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	15.16	235.11	0.00	250.27
	जोड़ - आर्थिक सेवाएं	**39,598.45**	**22,297.64**	**632.93**	**62,529.02**
घ	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.11	0.00	0.00	0.11
ङ	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0.00	12,886.20	0.00	12,886.20
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	1,464.87	0.00	1,464.87
च	**ऋण तथा अग्रिम**				
	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	0.00	0.00	26.92	26.92
	जोड़ - सहायता अनुदान तथा अंशदान, लोक ऋण एवं कर्ज तथा पेशगियाँ	**0.11**	**14,351.07**	**26.92**	**14,378.10**
छ	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	जोड़ - समेकित निधि व्यय	**1,83,976.22**	**45,870.89**	**2,056.77**	**2,31,903.88**

ख- प्रकृतिवार व्यय

क्रम सं०	विषयवार व्यय	2022-23		
		राजस्व	पूँजी	जोड़
1	सहायक अनुदान	79,940.88	0.00	79,940.88
2	निर्माण (मुख्य कार्य)	0.31	27,559.05	27,559.36
3	वेतन	24,816.02	0.14 $	24,816.16
4	पेंशन	23,143.69	0.00	23,143.69
5	ब्याज	15,183.54	0.00	15,183.54
6	निवेश	0.00	3,588.60	3,588.60
7	सब्सिडी	14,827.79	0.00	14,827.79
8	उधार की वापसी	0.00	14,351.07	14,351.07
9	लघु कार्य	5,969.92	0.17 $	5,970.09
10	छात्रवृत्ति/वजीफा	5,679.23	0.00	5,679.23
11	सामग्री तथा आपूर्ति	2,841.05	0.00	2,841.05
12	व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें	4,264.97	0.11 $	4,265.08
13	कार्यालय व्यय	2,359.77	0.00	2,359.77
14	मशीनें तथा उपस्कर	609.28	439.87	1,049.15
15	मजदूरी	1,511.54	0.00	1,511.54
16	ऋण तथा अग्रिम	0.00	2,056.76	2,056.76
17	यात्रा व्यय	289.09	0.00	289.09
18	प्रकाशन एवं मुद्रण	415.58	0.00	415.58
19	अन्य प्रशासनिक व्यय	223.28	0.00	223.28
20	पोशाक एवं परिधान	179.82	0.00	179.82
21	किराया, दर तथा शुल्क	187.23	0.00	187.23
22	मोटर वाहन	80.33	0.00	80.33
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	46.48	0.00	46.48
24	शस्त्र और गोला बारूद	43.43	0.00	43.43
25	पुरस्कार	5.83	0.00	5.83
26	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.11	0.00	0.11
27	गुप्त सेवा व्यय	16.98	0.00	16.98
28	पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेन्ट (पीओएल)	0.53	0.00	0.53
29	रॉयल्टी	0.00	0.00	0.00
30	अन्य	4,590.63	(-)46.24	4,544.39
31	व्यय में कमी	(-)3,251.09	(-)21.87	(-)3,272.96
	कुल	**1,83,976.22**	**47,927.66**	**2,31,903.88**

$ कार्यभारित स्थापना पर व्यय किया गया है।

विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

2021-22			2020-21		
राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
65,015.01	0.00	65,015.01	54,928.98	0.00	54,928.98
0.10	21,328.34	21,328.44	0.00	17,390.11	17,390.11
23,524.52	-0.01	23,524.51	21,802.11	39.54	21,841.65
20,294.96	0.00	20,294.96	19,671.64	0.00	19,671.64
13,821.93	0.00	13,821.93	12,484.04	0.00	12,484.04
0.00	2,565.71	2,565.71	0.00	1,219.73	1,219.73
10,256.02	0.00	10,256.02	8,164.63	2.79	8,167.42
0.00	8,746.47	8,746.47	0.00	6,880.47	6,880.47
4,639.89	1.42	4,641.31	3,340.03	61.99	3,402.02
6,681.66	0.00	6,681.66	941.50	0.00	941.50
3,900.48	0.99	3,901.47	3,510.78	0.01	3,510.79
3,701.71	0.00	3,701.71	3,443.02	6.70	3,449.72
1,568.02	1.24	1,569.26	2,882.17	2.81	2,884.98
401.05	371.06	772.11	344.28	277.42	621.70
1,459.27	0.00	1,459.27	1,147.06	0.00	1,147.06
0.00	1,478.52	1,478.52	0.00	1,113.97	1,113.97
305.42	0.00	305.42	391.80	0.13	391.93
255.86	0.00	255.86	222.04	0.00	222.04
146.37	0.00	146.37	86.95	0.00	86.95
144.21	0.00	144.21	151.75	0.00	151.75
105.23	0.00	105.23	92.11	0.17	92.28
104.31	0.00	104.31	55.13	0.00	55.13
39.58	0.00	39.58	26.38	0.14	26.52
18.55	0.00	18.55	28.23	0.00	28.23
4.68	0.00	4.68	4.49	0.00	4.49
0.32	0.00	0.32	1.96	0.00	1.96
11.94	0.00	11.94	14.75	0.00	14.75
0.35	0.00	0.35	0.06	0.00	0.06
0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
3,813.29	(-)506.28	3,307.01	7,832.31	(-)646.44	7,185.87
(-)995.03	(-)84.19	(-)1,079.22	(-)2,074.75	(-)146.50	(-)2,221.25
1,59,219.71	**33,903.27**	**1,93,122.98**	**1,39,493.45**	**26,203.04**	**1,65,696.49**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
क.	**सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा**					
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20.20	320.47	16.64	337.11	(-)17.62
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	609.75	4,199.24	574.40	4,773.64	(-)5.80
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	2.96	0.00	2.96	0
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,528.06	11,066.41	1,596.45	12,662.86	4.48
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,349.48	9,559.98	1,067.39	10,627.37	(-)20.90
	जोड़ : क. सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**3,507.49**	**25,149.06**	**3,254.88**	**28,403.94**	**(-)7.20**
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा**					
(क)	***शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा***					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,760.73	9,500.43	1,315.54	10,815.97	(-)25.28
	जोड़ - (क)	**1,760.73**	**9,500.43**	**1,315.54**	**10,815.97**	**(-)25.28**
(ख)	***स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा***					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	865.44	8,814.15	2,426.49	11,240.64	180.38
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	35.48	0.00	35.48	0
	जोड़ - (ख)	**865.44**	**8,849.63**	**2,426.49**	**11,276.12**	**180.38**
(ग)	***जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा***					
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,975.96	18,599.93	1,310.02	19,909.95	(-)33.70
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	328.69	1,555.61	314.25	1,869.86	(-)4.39
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	150.27	0.00	150.27	0
	जोड़ - (ग)	**2,304.65**	**20,305.81**	**1,624.27**	**21,930.08**	**(-)29.52**
(घ)	***सूचना तथा प्रसारण का पूँजीगत लेखा***					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.80	0.00	8.80	0
	जोड़ - (घ)	**0.00**	**8.80**	**0.00**	**8.80**	**0**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ङ)	*अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा*					
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	68.36	629.41	73.58	702.99	7.64
	जोड़ - (ङ)	**68.36**	**629.41**	**73.58**	**702.99**	**7.64**
(च)	*समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा*					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	132.97	1,120.54	509.83	1,630.37	283.42
	जोड़ - (च)	**132.97**	**1,120.54**	**509.83**	**1,630.37**	**283.42**
(छ)	*अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा*					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	21.57	1,091.14	17.60	1,108.74	(-)18.41
	जोड़ - (छ)	**21.57**	**1,091.14**	**17.60**	**1,108.74**	**(-)18.41**
	जोड़ : ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**5,153.72**	**41,505.76**	**5,967.31**	**47,473.07**	**15.79**
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा**					
(क)	*कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूँजीगत लेखा*					
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	132.02	454.48	480.55	935.03	264.00
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	14.30	0.00	14.30	0
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	10.88	0.00	10.88	0
4404	डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	13.81	0.00	13.81	0
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.91	0.00	1.91	0
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	143.58	419.36	61.14	480.50	(-)57.42
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	20.33	1,135.90	97.70	1,233.60	380.57
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.78	0.00	0.78	0
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	(-)1.96	733.62	9.89	743.51	(-)604.59
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	26.61	0.00	26.61	0
	जोड़ - (क)	**293.97**	**2,811.65**	**649.28**	**3,460.93**	**120.87**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ख)	*ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा*					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	3,955.66	51,352.52	6,218.08	57,570.60	57.19
	जोड़ - (ख)	**3,955.66**	**51,352.52**	**6,218.08**	**57,570.60**	**57.19**
(घ)	*सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा*					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,231.42	12,864.88	1,207.61	14,072.49	(-)45.88
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	7,327.91	0.00	7,327.91	0
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	270.27	3,038.56	460.03	3,498.59	70.21
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.58	0.00	0.58	0
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,108.97	13,034.40	983.93	14,018.33	(-)11.28
	जोड़ - (घ)	**3,610.66**	**36,266.33**	**2,651.57**	**38,917.90**	**(-)26.56**
(ङ)	*ऊर्जा का पूँजीगत लेखा*					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,430.00	35,656.06	3,078.71	38,734.77	115.29
4810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.50	0.00	1.50	0
	जोड़ - (ङ)	**1,430.00**	**35,657.56**	**3,078.71**	**38,736.27**	**115.29**
(च)	*उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा*					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	16.44	193.76	1,392.24	1,586.00	0
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	43.72	0.00	43.72	0
4855	उर्वरक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.36	0.00	1.36	0
4857	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	9.00	0.00	9.00	0
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.88	0.00	0.88	0
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	63.00	713.26	130.83	844.09	107.67
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	54.86	0.00	54.86	0
4875	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.24	0.00	0.24	0
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	1,793.35	170.00	1,963.35	0
	जोड़ - (च)	**129.44**	**2,810.43**	**1,693.07**	**4,503.50**	**1208.00**

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(छ)	*परिवहन का पूँजीगत लेखा*					
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	218.34	769.18	0.00	769.18	0
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,052.42	59,837.69	6,601.92	66,439.61	62.91
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	3.78	126.54	7.76	134.30	105.29
5075	अन्य परिवहन सेवाएं	1,057.58	1,272.45	959.00	2,231.45	(-)9.32
	जोड़ - (छ)	**5,332.12**	**62,005.86**	**7,568.68**	**69,574.54**	**41.95**
(ञ)	*सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा*					
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	123.58	831.56	203.14	1,034.70	64.38
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूँजीगत परिव्यय	70.20	676.83	0.00	676.83	(-)100.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	71.45	298.64	235.11	533.75	229.06
	जोड़ - (ञ)	**265.23**	**1,807.03**	**438.25**	**2,245.28**	**65.23**
	जोड़ : ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**15,017.08**	**1,92,711.38**	**22,297.64**	**2,15,009.02**	**48.48**
	जोड़ : व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	**23,678.29**	**2,59,366.20** *	**31,519.83**	**2,90,886.03** *	**33.12**

*14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार का पूँजीगत व्यय (₹11,935.23 करोड़) सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2023)।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा खण्ड-।। के विवरण संख्या 16 में दिया गया है।
2. वर्ष 2022-23 के अंत तक ₹2,90,886.03 करोड़ की कुल पूँजी परिव्यय, जिसमें संयुक्त बिहार के लिए 14 नवम्बर 2000 तक का ₹11,935.23 करोड़ का प्रगामी परिव्यय सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखंड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2023)।
3. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में सरकारी निवेश के ब्योरे खण्ड-।। के विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।
4. सिंचाई योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष ''4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय'' के अन्तर्गत दिखाये गये हैं। चार योजनाएँ जिसे वाणिज्यिक घोषित की गई है, उनके वित्तीय परिणाम खण्ड-।। के परिशिष्ट VIII में दिखाये गये हैं।
5. 2 अप्रैल 1973 को बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना के साथ अन्न आपूर्ति योजना निगम को स्थानांतरित कर दी गई है, स्थानांतरित परिसम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
6. सरकार के निवेश-वर्ष 2022-23 में सरकार ने ₹3,588.60 करोड़ का निवेश किया। सांविधिक निगम सहित सरकारी कंपनियों में ₹3,078.72 करोड़, ज्वाईंट स्टोक कंपनी एवं पार्टनरशिप में ₹500.00 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं में तथा स्थानीय निकाय में ₹9.88 करोड़ निवेश किया गया। वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में विभिन्न संस्थाओं के हिस्सा पूँजी में सरकार द्वारा क्रमश: ₹32,870.61 करोड़, ₹35,436.02 करोड़ तथा ₹39,024.62 करोड़ का कुल निवेश किया गया।

   14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार के कुल निवेश (₹655.94 करोड़) का विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2023)।
   अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त लाभांश/ब्याज (₹ करोड़ में)
2020-2021	603.01
2021-2022	6.54
2022-2023	1.49

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्त्वों का विवरण[1] (₹ करोड़ में)

	उधार की प्रकृति	1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2023 को शेष	निवल वृद्धि (+) या कमी (-) राशि	निवल वृद्धि (+) या कमी (-) प्रतिशत	कुल दायित्त्व का प्रतिशत
क.	लोक ऋण							
6003	**राज्य सरकार का आंतरिक ऋण**	**1,82,855.32**	**38,128.98**	**12,886.20**	**2,08,098.10**	**25,242.78**	**13.80**	**70.95**
	बाजार कर्ज	1,56,575.11	36,800.00	9,100.00	1,84,275.11	27,700.00	17.69	62.83
	आर.बी.आई. से डब्ल्यू.एम.ए.[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	बंध पत्र	2,195.25	0.00	233.18	1,962.07	(-)233.18	(-)10.62	0.67
	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	10,111.91	1,328.98	1,664.67	9,776.22	(-)335.69	(-)3.32	3.33
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	13,965.60	0.00	1,888.35	12,077.25	(-)1,888.35	(-)13.52	4.12
	अन्य कर्ज	7.45	0.00	0.00	7.45	0.00	0.00	0
6004	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम**	**26,057.96**	**10,154.54**	**1,464.87**	**34,747.63**	**8,689.67**	**33.35**	**11.85**
	योजनेतर कर्ज	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0
	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	191.29	0.00	0.00	191.29	0.00	0.00	0.07
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0
	डबलू.एम.ए.	42.96	0.00	0.00	42.96	0.00	0.00	0.01
	1984-85 के पूर्व के कर्ज	3.91	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज	36.42	0.00	3.32	33.10	(-)3.32	(-)9.12	0.01
	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	25,781.26	10,154.54	1,461.55	34,474.25	8,692.99	33.72	11.75
	जोड़ : क. लोक ऋण	**2,08,913.28**	**48,283.52**	**14,351.07**	**2,42,845.73**	**33,932.45**	**16.24**	**82.80**
ख.	अन्य दायित्त्व							
लोक लेखे								
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि		9,521.65	2,561.27	2,686.04	9,396.88	(-)124.77	(-)1.31	3.20
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ		1,041.49	3,002.96	1,417.85	2,626.60	1,585.11	152.20	0.90
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ		0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0
ब्याज सहित जमा		217.11	2,649.82	2,609.30	257.63	40.52	18.66	0.09
ब्याज रहित जमा		37,816.68	72,165.01	71,801.36	38,180.33	363.65	0.96	13.02
	जोड़ : ख. अन्य दायित्त्व	**48,596.93**	**81,667.06**	**79,802.55**	**50,461.44**	**1,864.51**	**3.84**	**17.20**
	जोड़ : लोक ऋण तथा अन्य दायित्त्व	**2,57,510.21**	**1,29,950.58**	**94,153.62**	**2,93,307.17**	**35,796.96**	**13.90**	**100.00**

[1] विस्तृत लेखा खण्ड-II में विवरण 17 में है।

[2] डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय आंग्रिम

टिप्पणी ऋण शोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन कार्य इत्यादि के ब्योरे के लिए, इस विवरण के अगले पृष्ठ पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ को देखा जाय।

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. **ऋण शोधन की व्यवस्था :** 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008-09 में एक निक्षेप निधि सृजित की गई है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 तक ₹7,028.12 करोड़ उपलब्ध कराया गया हैं।
2. **अल्प बचत निधि से कर्ज :** डाकघर में 'अल्प बचत योजनाओं' एवं 'लोक भविष्य निधि' की वसूली में से कर्ज को राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 अनुपात में हिस्सेदारी के रूप में बाँटा जा रहा है। अल्प बचत वसूलियों से कर्ज को विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि यथा 'राष्ट्रीय अल्प बचत निधि' का निर्माण किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान कोई नया कर्ज नहीं प्राप्त किया गया केवल ₹1,888.35 करोड़ के कर्ज की अदायगी वर्ष के दौरान की गई। वर्ष के अन्त तक शेष बकाया ₹12,077.25 करोड़ था जो 31 मार्च 2023 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 4.97 प्रतिशत था।
3. **भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम, बाजार ऋण इत्यादि :** भारत सरकार से प्राप्त कर्जो का ब्योरा खण्ड-।। के विवरण 17 मे दिये गये हैं।
4. **ऋण शोधन कार्य**

ऋण तथा अन्य दायित्त्वों पर ब्याज- वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्त्व तथा निवल ब्याज प्रभार जिसे राजस्व से पूरा किया गया, निम्नवत थे:-

		2022-23	2021-22	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-)
				(₹करोड़ में)
(i)	**वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्त्व**			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,52,242.61	2,18,434.93	33,807.68
(ख)	अन्य दायित्व	41,064.56	39,075.28	1,989.28
	जोड़ (i)	**2,93,307.17**	**2,57,510.21**	**35,796.96**
(ii)	**सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज**			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर	15,178.31	13,813.89	1,364.42
(ख)	अन्य दायित्त्वों पर	5.22	8.04	(-)2.82
	जोड़ (ii)	**15,183.53**	**13,821.93**	**1,361.60**
(iii)	**घटाएं**			
(क)	सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	8.65	5.68	2.97
(ख)	रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त किया गया ब्याज	276.23	189.70	86.53
(ग)	जमा निधि से ब्याज प्राप्ति	0.00	0.00	0.00
	जोड़ (iii)	**284.88**	**195.38**	89.50
(iv)	**ब्याज प्रभारों की निवल राशि**	**14,898.65**	**13,626.55**	**1,272.10**
(v)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में सकल ब्याज {मद(ii)}'की प्रतिशतता**	8.79	8.70	0.09
(vi)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में निवल ब्याज {मद(iv)}'की प्रतिशतता**	8.63	8.58	0.05

अन्य प्राप्तियाँ तथा समायोजनों में इसके अतिरिक्त ₹736.57 करोड़ 'विविध' लेखा पर ब्याज सम्मिलित थे। अगर इन्हें घटा दिया जाय तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹14,162.08 करोड़ होगा जो राजस्व का 8.20 प्रतिशत आता है।
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹1.49 करोड़ विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश के रूप में प्राप्त किया गया।

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 1: ऋण और अग्रिमों का सारांश - ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल, 2022 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/अकादमी संस्थान	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	386.85	0.00	0.00	0.00	386.85	0.00	63.40
आवास बोर्ड	127.47	0.00	0.00	0.00	127.47	0.00	6.40
सरकारी कम्पनियाँ	7,978.93	1,505.52	18.19	0.00	9,466.26	1,487.33	6,996.90
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमें/बैंक	807.21	0.00	1.36	0.00	805.85	(-)1.36	973.13
पंचायती राज संस्थायें	57.63	0.00	0.00	0.00	57.63	0.00	36.46
सांविधिक निगम	13,111.81	0.00	0.00	0.00	13,111.81	0.00	4,869.33
सरकारी सेवक	109.43	26.92	21.94	0.00	114.41	4.98	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
अन्य	609.40	524.33	0.00	0.00	1,133.73	524.33	1,079.65
जोड़	**23,194.36**	**2,056.77**	**41.49**	**0.00**	**25,209.64**	**2,015.28**	**14,025.27**

निम्नलिखित ऋण के मामलों को 'शाश्वत ऋण' के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं०	राशि	ब्याज दर
''सूचना उपलब्ध नहीं''					

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 2 : ऋण और अग्रिमों का सारांश- क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल, 2022 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाएं	2,854.48	1,396.92	18.19	0.00	4,233.21	1378.73	106.26
आर्थिक सेवाएं	20,229.60	632.93	1.36	0.00	20,861.17	631.57	13,919.01
सरकारी कर्मचारी	109.43	26.92	21.94	0.00	114.41	4.98	0.00
विविध उदेश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
जोड़	**23,194.36**	**2,056.77**	**41.49**	**0.00**	**25,209.64**	**2,015.28**	**14,025.27**

भाग 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2023 को बकाया राशि*			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है*	31 मार्च 2023 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
आवास बोर्ड	4.75	6.40	11.15	2001-02	127.47
सरकारी कम्पनियाँ	5,841.28	6,996.90	12,838.18	2001-02	9,466.26
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमें/बैंक	185.55	973.13	1,158.68	2001-02	805.85
पंचायती राज संस्थायें	17.47	36.46	53.93	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,715.62	4,869.33	8,584.95	2001-02	13,111.81
अन्य	250.36	1,079.65	1,330.01	2001-02	1,133.73
जोड़	**10,034.57**	**14,025.27**	**24,059.84**		**25,089.60**

* वर्ष 2000-01 तक बकाया राशि ₹3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹1,522.50 करोड़ तथा ब्याज ₹1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

नोट: राज्य सरकार से मिलान अभी भी प्रतीक्षित है।

विवरण 8: सरकार के निवेशों का विवरण

2021-22 तथा 2022-23 में विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	संस्था का नाम	2022-23			2021-22		
		संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम	3	105.63	0.00	3	105.63	0.00
2	ग्रामीण बैंक	1	30.19	0.00	1	30.19	0.00
3	सरकारी कम्पनियाँ	46	36,388.28	0.01	46	33,309.56	6.06
4	अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ और साझेदारी	12	1,862.76	0.00	12	1,362.76	0.00
5	सहकारी संस्था एवं स्थानीय निकाय	17	637.76	1.48	17	627.88	0.48
जोड़		**79**	**39,024.62**	**1.49**	**79**	**35,436.02**	**6.54**

विवरण 9: सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के सेक्टर वार विवरण और विभिन्न सेक्टर में 31 मार्च 2023 को बकाया गारंटी की रकम नीचे दिखायी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	सेक्टर (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अन्दर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष के दौरान विलोपन (माँग को छोड़कर)	वर्ष के दौरान लागू		वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूलधन	ब्याज	प्राप्त योग्य	प्राप्त	
	1	2		3		4	5	6	7	8		9	10	11
1	बिजली (*)	15,540.02	579.76	12,526.17	314.50	650.00	168.21	*	*	13,007.96	561.93	*	*	*
2	सहकारिता (*)	5,718.40	*	4,212.78	52.69	4,000.00	4,608.40	*	*	3,604.38	48.52	*	*	*
3	शहरी विकास तथा आवास	4.00	*	*	0.57	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	कोई अन्य (*)	19,055.00	*	7,915.93	47.14	20,509.20	19,780.72	*	*	8,644.41	72.05	32.44	*	*
	जोड़	**40,317.42**	**579.76**	**24,654.88**	**414.90**	**25,159.20**	**24,557.33**	**0.00**	**0.00**	**25,256.75**	**682.50**	**32.44**	*	*

* राज्य सरकार द्वारा गारंटी परिहार निधि का सृजन अब तक नहीं किया गया है।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) सहायता अनुदान का नकद रूप में भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०		अनुदेयी का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			कॉलम सं० (2) के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से संपत्ति के सृजन हेतु आवंटित निधि			सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि
			2022-23			2022-23			2021-22
		(1)	(2)			(3)			(4)
			स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़	स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़	
		पंचायती राज संस्थाएँ	**2,445.21**	**12,028.99**	**14,474.20**	**119.27**	**1,961.52**	**2,080.79**	**13,268.40**
	(i)	जिला परिषद्	3.34	2,855.78	2,859.12	0.00	247.19	247.19	3,279.06
	(ii)	पंचायत समितियाँ	187.82	3,614.52	3,802.34	0.00	233.11	233.11	3,566.24
	(iii)	विकास प्राधिकरण	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iv)	ग्राम पंचायत	2253.68	5,558.69	7,812.37	119.27	1,481.22	1,600.49	6,423.10
2.		**शहरी स्थानीय निकाय**	**217.12**	**4,773.61**	**4,990.73**	**185.37**	**1,693.53**	**1,878.90**	**5,386.53**
	(i)	नगर निगम	118.55	4,701.33	4,819.88	108.39	1,687.79	1,796.18	5,043.21
	(ii)	विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
	(iii)	नगरपालिका/नगर परिषद्	98.57	72.28	170.85	76.98	5.74	82.72	339.59
3.		**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**98.57**	**767.18**	**865.75**	**87.34**	**0.00**	**87.34**	**837.64**
	(i)	सरकारी कंपनियाँ	0.00	757.63	757.63	0.00	0.00	0.00	757.63
	(ii)	विकास प्राधिकरण	0.85	5.64	6.49	0.00	0.00	0.00	10.02
	(iii)	सांविधिक निगम	97.72	3.91	101.63	87.34	0.00	87.34	69.99
4.		**स्वायत्त संस्थाएँ**	**673.48**	**4,633.91**	**5,307.39**	**542.58**	**22.00**	**564.58**	**4,379.05**
	(i)	विश्वविद्यालय	421.03	3,910.81	4,331.84	318.54	1.00	319.54	3,684.25
	(ii)	विकास प्राधिकरण	43.51	70.30	113.81	22.00	21.00	43.00	40.65
	(iii)	सहकारी संस्थाएँ	141.13	0.00	141.13	141.13	0.00	141.13	103.09
	(iv)	अन्य	67.81	652.80	720.61	60.91	0.00	60.91	551.06
5.		**गैर सरकारी संगठन**	**52,970.46**	**1,332.35**	**54,302.81**	**15,391.42**	**16.31**	**15,407.73**	**41,143.39**
	(i)	विकास प्राधिकरण	1,256.37	11.96	1,268.33	192.25	0.00	192.25	1,642.97
	(ii)	अन्य	51,714.09	1,320.39	53,034.48	15,199.17	16.31	15,215.48	39,500.42
		कुल जोड़	**56,404.84**	**23,536.04**	**79,940.88**	**16,325.98**	**3,693.36**	**20,019.34**	**65,015.01**

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(ii) वस्तु रूप में दिये गये सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०		अनुदेयी का नाम/श्रेणी	वस्तु के रूप में कुल सहायता अनुदान का मूल्य	वस्तु के रूप में सहायता अनुदान जो पूँजीगत परिसंपत्ति के स्वरूप में हो, का मूल्य	2021-22
			2022-23		
1.		**पंचायती राज संस्थाएँ**			
	(i)	जिला परिषद्	0.00	0.00	0.00
	(ii)	पंचायत समितियाँ	0.00	0.00	0.00
	(iii)	ग्राम पंचायत	0.00	0.00	0.00
2.		**शहरी स्थानीय निकाय**			
	(i)	नगर निगम	0.00	0.00	0.00
	(ii)	नगरपालिका / नगर परिषद्	0.00	0.00	0.00
	(iii)	अन्य	0.00	0.00	0.00
3.		**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**			
	(i)	सरकारी कंपनियाँ	0.00	0.00	0.00
	(ii)	सांविधिक निगम	0.00	0.00	0.00
4.		**स्वायत्त संस्थाएँ**			
	(i)	विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00
	(ii)	विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
	(iii)	सहकारी संस्थाएँ	0.00	0.00	0.00
	(iv)	अन्य	0.00	0.00	0.00
5.		**गैर सरकारी संगठन**			
	(i)	विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
	(ii)	अन्य	0.00	0.00	0.00
		कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोट: उपरोक्त आँकड़े राज्य सरकार के संबंधित विभागों से उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित है।

विवरण 11: दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	वास्तविकी					
	2022-23			2021-22		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*16,787.46*	1,67,188.76	**1,83,976.22**	*14,059.54*	1,45,160.17	**1,59,219.71**
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	*0.00*	31,519.82	**31,519.82**	*0.00*	23,678.29	**23,678.29**
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अधीन भुगतानों और आकस्मिकता निधि को अंतरण (क)	*14,351.07*	2,056.77	**16,407.84**	*8,746.47*	1,478.51	**10,224.98**
जोड़ :	***31,138.53***	**2,00,765.35**	**2,31,903.88**	***22,806.01***	**1,70,316.97**	**1,93,122.98**
(क) आँकड़े निम्नवत् परिगणित किए गए हैं:						
ङ. लोक ऋण						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	*12,886.20*	0.00	**12,886.20**	*7,619.64*	0.00	**7,619.64**
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा उधार	*1,464.87*	0.00	**1,464.87**	*1126.83*	0.00	**1,126.83**
च. कर्ज तथा उधार*						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	1,396.92	**1,396.92**	*0.00*	682.15	**682.15**
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	632.93	**632.93**	*0.00*	767.60	**767.60**
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	*0.00*	26.92	**26.92**	*0.00*	28.76	**28.76**
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
जोड़ : (क)	***14,351.07***	**2,056.77**	**16,407.84**	***8,746.47***	**1,478.51**	**10,224.98**

(i) 2021-22 तथा 2022-23 में हुए कुल व्यय से प्रभारित एवं दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत थी:–

वर्ष	कुल व्यय की प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2021-22	*11.81*	88.19
2022-23	*13.43*	86.57

*विस्तृत लेखा खण्ड-II में विवरण 18 में दिए गए हैं।

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)			
सामान्य सेवाएं	25,688.08	3,262.30	28,950.38
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	9,692.71	1,316.30	11,009.01
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	9,059.98	2,426.49	11,486.47
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	21,206.96	1,627.36	22,834.32
सूचना तथा प्रसारण	8.98	0.00	8.98
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	680.38	73.60	753.98
समाज कल्याण तथा पोषण	1,258.22	510.38	1,768.60
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,217.47	18.07	1,235.54
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,849.44	649.27	3,498.71
ग्रामीण विकास	54,723.57	6,225.57	60,949.14
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	38,018.55	2,652.41	40,670.96
ऊर्जा	35,657.56	3,078.71	38,736.27
उद्योग तथा खनिज	2,825.24	1,693.07	4,518.31
परिवहन	63,597.41	7,569.33	71,166.74
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,995.22	438.83	2,434.05
सकल पूँजीगत व्यय	**2,68,479.77**	**31,541.69**	**3,00,021.46**
घटाएं-अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-)9,112.46	(-)21.87	(-)9,134.33
निवल पूँजीगत व्यय	**2,59,367.31**	**31,519.82**	**2,90,887.13**
ऋण तथा अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2,373.42	1,378.73	3,752.15
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	467.24	0.00	467.24
समाज कल्याण तथा पोषण	13.70	0.00	13.70
अन्य	0.12	0.00	0.12

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,552.59	16.21	2,568.80
ग्रामीण विकास	59.86	0.00	59.86
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	55.61	0.00	55.61
ऊर्जा	15,943.10	91.03	16,034.13
उद्योग तथा खनिज	1,424.28	524.33	1,948.61
परिवहन	16.31	0.00	16.31
सामान्य आर्थिक सेवाएं	177.86	0.00	177.86
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	109.42	4.98	114.40
विविध कार्यो के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.85
जोड़ : ऋण तथा अग्रिम	**23,194.36**	**2,015.28**	**25,209.64**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)74.01	0.00	(-)74.01
जोड़ : पूँजीगत तथा अन्य व्यय	**2,82,487.66**	**33,535.10**	**3,16,022.76**
घटाएं -			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	1.10	0.00	1.10
निवल पूँजीगत तथा अन्य व्यय	**2,82,486.56**	**33,535.10**	**3,16,021.66** (ट)
निधियों के प्रमुख स्रोत			
ऋण-			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	1,82,855.32	25,242.78	2,08,098.10
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	26,057.96	8,689.67	34,747.63
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,521.66	(-)124.77	9,396.89
जोड़ : ऋण	**2,18,434.94**	**33,807.68**	**2,52,242.62**
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	350.00	0.00	350.00
आरक्षित निधि	1,041.49	1,585.11	2,626.60
जमा तथा अग्रिम	37,783.84	404.16	38,188.00

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
उचंत तथा विविध (सरकारी लेखे में संवृत एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा से भिन्न राशि)	(-)16,406.16	1,160.57	(-)15,245.59
प्रेषण	(-)1,125.96	0.00	(-)1,125.96
जोड़ : अन्य दायित्व	**21,643.21**	**3,149.84**	**24,793.05**
जोड़ : ऋण एवं अन्य दायित्व	**2,40,078.15**	**36,957.52**	**2,77,035.67**
घटाएं-रोकड़ शेष	671.24	134.66	805.90
घटाएं-निवेश	22,070.25	(-)8,000.43	14,069.82
जोड़- 2022-23 के दौरान सरकारी लेखे में संवृत राशि	0.00	0.00	0.00
निधियों का निवल प्रावधान	**2,17,336.66**	**44,823.29**	**2,62,159.95** (ठ)

घटाएं- 2022-23 के लिए राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-)11,288.20
जोड़ें-वापसी/विनिवेश खाते में समायोजन	0.00
निधियों का निवल प्रावधान	44,823.29
सकल निवल पूँजीगत तथा अन्य व्यय	3,16,021.66
सकल निधियों के प्रमुख स्रोत	2,62,159.95
अंतर	**53,861.71**

(a) 31 मार्च 2023 को निवल पूँजी तथा अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹53,861.71 करोड़ का अंतर था, जिसकी व्याख्या नीचे की गई है:-

1. 31 मार्च 2022 को संचित राजस्व अधिशेष	59,345.04
2. वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व अधिशेष	(-)11,288.20
3. बिहार एवं पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का रोकड़ शेष अंतरण) अधिनियम, 1956 के अधीन पश्चिम बंगाल को अंतरित शेषों का निवल प्रभाव, लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन, अशुद्धियों के सुधार एवं लेखाओं के वर्गीकरण का पुनर्गठन तथा 2000-01 (1 अप्रैल 2000 से 14 नवम्बर 2000) की अवधि तक सरकारी लेखे में संवृत शेषों के फलस्वरूप प्रोफार्मा रूप से पृथक शेष/व्यय	(-)185.80
4. झारखण्ड राज्य को अंतरित रोकड़ शेष (दिनांक 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 का लेखा)	28.73
5. झारखंड राज्य हेतु विभाजित आंतरिक ऋण	2,211.70
6. झारखंड राज्य हेतु विभाजित केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	3,750.24
जोड़	**53,861.71**

विवरण 13: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

क. 31 मार्च 2023 को शेषों का सार निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का खंड	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
2,37,024.31 *	क से घ और ठ का भाग (केवल मुख्य शीर्ष 8680)	सरकारी लेखा	
	ङ	लोक ऋण	2,42,845.73
25,209.65	च	ऋण तथा अग्रिम	
		अन्तर्राज्यीय परिशोधन	74.01
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	350.00
		लोक लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,396.88
	ञ	**आरक्षित निधि**	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	2,626.60
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	7,028.12
		सकल शेष	**9,654.72**
7,028.12		निवेश	
	ट	**जमा तथा अग्रिम**	
		(i) ब्याज वाली जमा	257.63
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	38,180.33
249.96		(iii) अग्रिम	
	ठ	**उचन्त तथा विविध**	
14,069.82		निवेश	
15,416.89		अन्य मदें (निवल)	171.31
1,125.96	ड	**प्रेषण**	
805.90	ढ	**रोकड़ शेष**[(क)]	
3,00,930.61		**जोड़**	**3,00,930.61**

*इस आँकड़े को किस प्रकार परिगणित किया गया है, के लिए कृपया अगले पृष्ठ पर 'ख' देखी जाय ।

(क) ''रिजर्व बैंक जमा के संबंध में, जो सरकार के रोकड़ शेष का एक घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित तथा लेखा में प्रदर्शित राशि के बीच में अन्तर था। विस्तृत ब्यौरे के लिए पृष्ठ 7 पर विवरणी 2 के अनुबंध क के पाद टिप्पणी (1) का संदर्भ लिया जा सकता है ।''

विवरण 13: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

ख. सरकारी लेखाः सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित राशियाँ तथा सरकार के अन्य लेन देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते, एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं जिसे ''सरकारी लेखा'' कहा जाता है । इस शीर्ष का शेष ऐसे हीं सभी लेन देनों के संचयी परिणाम का द्योतक है।

इसमें लोक-ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लाया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखा के नामे निवल राशि निम्नानुसार परिगणित किया गया है-

नामे		**विवरण**	**(₹ करोड़ में)**
1,94,216.29	क.	1 अप्रैल 2022 को सरकारी लेखा में डेबिट की राशि	
	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,72,688.02
	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
1,83,976.22	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
31,519.82	ङ.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
	च.	उचन्त और विविध	
		(विविध सरकारी लेखा)	
	छ.	सरकारी लेखे में डेबिट की गई राशि	
		31 मार्च 2023 को	2,37,024.31
4,09,712.33		**जोड़**	**4,09,712.33**

(i) कई मामलों में ''प्राप्ति, संवितरण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा'' (खण्ड II के विवरण संख्या 14, 15, 17, 18 तथा 21) के प्रतिवेदित विवरण के अन्तशेष में असमाधानित अन्तर होता है तथा जिसे अलग रजिस्टर में दिखाया जाता है अथवा अन्य अभिलेख लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए संधारित किया जाता है। विसंगतियों के निराकरण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) प्रत्येक वर्ष शेषों के सत्यापन एवं अभिस्वीकृति के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी अभिस्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) मामले जहाँ शेषों की अभिस्वीकृति में विलम्ब किया गया है और जहाँ सम्बद्ध राशि विचाराधीन है, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 1 में अंकित किए गये हैं।

(iv) मामले जहाँ शेषों के समाधान के लिए ब्योरे/दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 2 में विस्तार से वर्णित हैं।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(i) रिपोर्टिंग इकाईः

ये लेखे बिहार सरकार के लेन–देन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 43 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के आधार पर संकलित किया गया है। 622 लोक निर्माण कार्य प्रभागों यथा भवन निर्माण (62), पथ निर्माण (77), जल संसाधन (245), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (63), योजना एवं विकास (पंचायती राज) (57), ग्रामीण कार्य (118) एवं 49 वन प्रमण्डलों का लेनदेन कोषागार लेखा में शामिल किया गया है। वर्ष की समाप्ति पर कोई भी लेखा विलोपित नहीं किया गया है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधिः

इन लेखों की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है।

(iii) रिपोर्टिंग मुद्राः

बिहार सरकार के लेखे रिपोर्ट भारतीय रुपये (₹) में किए जाते है।

(iv) लेखा प्रारूपः

संघ और राज्यों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 150 के अधीन उसी प्रारूप में रखा जाता है जिस प्रारूप में राष्ट्रपति महोदय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द “स्वरूप” का विस्तृत अर्थ होता है, इसलिए नहीं कि इसमें लेखाओं के रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण सम्मिलित है, बल्कि इसलिए भी कि यह लेखा शीर्ष के चयन का आधार होता है जिसमें संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है एवं लेखा–चार्ट तैयार किए जाते हैं।

(v) बजट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के आधारः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का आकलित विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अनुदान/विनियोग के रूप में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बजट वसूलियों एवं प्राप्तियों के बिना सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी को समायोजन करने की अनुमति दी जाती है। बजट एवं लेखा शीर्ष के सभी अनुदान/विनियोग, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं।

बजट एवं लेखेः राज्य के बजट और लेखे दोनों लेखाकरण की अवधि, नकद आधारित लेखा प्रणाली एवं वर्गीकरण समान हैं। लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर लेखा महानियंत्रक द्वारा लघु शीर्ष के स्तर तक अधिसूचित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार वर्गीकृत किए जाते है। लघु शीर्षो से नीचे का वर्गीकरण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार है।

विनियोग लेखा के रूप में एक पृथक बजट तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अनुदान/विनियोग का सही-सही संवितरण होता है।

नकद आधारितः लेखे, कुछ पुस्त समायोजनों को छोड़कर, लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्ति एवं संवितरण को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में प्राप्ति एवं संवितरण में वसूली, कटौती एवं वापसी निवल आधार पर दर्शाये जाते हैं।

पुस्त समायोजनः पुस्त समायोजन गैर-नकद लेन-देन है जो लेखा में समायोजन/निपटान के रूप में होते हैं। वेतन से कटौती एवं वसूली का राजस्व प्राप्ति/ऋण/लोक लेखा में समायोजन के लिए, लोक लेखा एवं समेकित निधि के बीच धन अंतरण के लिए 'शून्य' बिल आदि कुछ लेन-देन लेखा इकाई यथा; कोषागारों, प्रमण्डलों आदि स्तर पर किए जाते हैं।

पुस्त समायोजन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में भी किये जाते हैं। अन्य के साथ, इसमें समेकित निधि में डेबिट करते हुए लोक लेखा में निधि निर्माण एवं अंशदान (जैसे; राज्य आपदा मोचन निधि, केंद्रीय सड़क तथा अवसंरचना निधि, निक्षेप निधि आदि); समेकित निधि में डेबिट करते हुए लोक लेखा के जमा लेखा शीर्ष में क्रेडिट एवं मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ भुगतान डेबिट करते हुए सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य सरकार समूह बीमा स्कीम पर ब्याज का वार्षिक समायोजन लोक लेखा में संगत मुख्य शीर्ष में क्रेडिट केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं।

पूँजी एवं राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरणः स्थायी प्रकृति की मूर्त आस्तियों के अर्जन में (संस्था में प्रयोग के लिए एवं व्यवसाय के सामान्य तरह के बिक्री की लिए नहीं) या मौजूदा आस्तियों की उपयोगिता में वृद्धि में महत्वपूर्ण व्यय व्यापक रूप से पूँजी व्यय के अन्तर्गत आते हैं। परिसम्पत्तियों को चालू स्थिति में रखने, उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव एवं कार्य पर होने वाले व्यय, स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय सहित संगठन के कार्य के लिए दिन-प्रतिदिन होने वाले अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय के अन्तर्गत आते हैं। लेखा में पूँजी एवं राजस्व व्यय अलग-अलग दिखाए जाते है।

भौतिक एवं वित्तीय परिसम्पत्ति तथा दायित्वः भौतिक परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों (जैसे सरकार द्वारा किए गए निवेश, ऋण एवं अग्रिम आदि) के साथ-साथ देयता जैसे-ऋण आदि का मापन परंपरागत लागत पर किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं होता एवं वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित नहीं की जाती है। भौतिक परिसंपत्तियों के जीवन के अंत तक उसमें हानि नहीं माने जाते है।

सहायता अनुदानः भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण के अनुपालन में नकद सहायता अनुदान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत

मामलों को छोड़कर संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मानी जाती हैं चाहें इसमें अनुदेयी द्वारा परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल क्यों न हो। प्राप्त सभी अनुदान राजस्व प्राप्ति के रूप में माने जाते है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के वर्गीकरण एवं लेखाकरण की आवश्यकताओं का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 10 एवं परिशिष्ट-।।। में दिया गया है। वस्तु के रूप में दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऋण एवं अग्रिमः आई.जी.ए.एस. 3: सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिम के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिम का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 7 एवं 18 में दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक विवरणी में उल्लिखित शेष राशि का ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार से मिलान किए जाने की आवश्यकता है।

सेवानिवृत्ति लाभः रिपोर्ट अवधि के दौरान संवितरित सेवानिवृति लाभ लेखा में वर्णित है परंतु पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली भविष्य पेंशन देयता जैसे पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारियों को उनकी पूरानी एवं वर्तमान सेवाओं के बदले दी जानेवाली सेवानिवृति हितलाभ के भुगतान की देयता की लेखा में शामिल नहीं किया गया है।

(vi) पूर्णांकनः

विवरणी में, आँकड़े ₹ लाख एवं ₹ करोड़ में पूर्णांकित किए गए हैं जिसे संबंधित विवरणी के शीर्ष पर दर्शाया गया है।

संक्षिप्त विवरणी (खण्ड-।) तथा विस्तृत विवरणी (खण्ड-।।) में ₹0.01/0.02 लाख/करोड़ का अल्प अंतर जहाँ कहीं है, पूर्णन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेषः

लेखों में दर्शाया गया रोकड़ शेष, वर्ष के 31 मार्च के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग एवं राज्य सरकार के लेखों में दर्ज शेष है। रोकड़ शेष, उस वर्ष में राज्य की समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत नकद लेन-देन के बाद शेष को दर्शाता है। बही समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करता है। वित्त लेखा में उल्लेखित रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक की बही के साथ मिलान किया जाना है।

(viii) आकस्मिक एवं प्रतिबद्ध देयता का प्रकटीकरणः

आकस्मिक देयता अभिज्ञात नहीं है। आई.जी.ए.एस. 1: 'सरकार के द्वारा दी गयी गारंटियाँ', की अनुपालना में वित्त लेखा की विवरणी 9 एवं 20 में गारंटियों का क्षेत्र-वार विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार दिया गया है।

सरकार प्रतिबद्ध लेखाकरण का अनुसरण नहीं करती है और प्रतिबद्धताएँ न तो दर्ज की गयी हैं और न हीं प्रतिबद्धआतों के विरुद्ध देयता स्वीकृत है परंतु वित्त लेखा के परिशिष्ट XII में आगामी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है।

(ix) पास थ्रू लेन-देन: राज्य द्वारा संग्रहित प्राप्तियाँ परन्तु दूसरे इकाई को अंतरित प्रकृति के लेन-देन का वर्णन वित्त लेखा के लेन-देन में किया गया है। इनमें राज्य कैम्पा निधि में पूर्ण वर्ष में संग्रहित राशि का 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय नीधि में अंतरित किया जाना सम्मिलित है।

2. लेखाकरण तंत्र का अनुपालन:

(i) लेखा में नए उप-शीर्षों/विस्तृत शीर्षों को बिना परामर्श के खोलना:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा परामर्श किए गए प्रारूप में राज्य के लेखे रखे जाने हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श किए बिना बजट में 07 नये उपशीर्ष (04 राजस्व अनुभाग के अंतर्गत एवं 03 पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत) खोले हैं। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान किए तथा और ₹17.65 करोड़ (राजस्व: ₹13.17 करोड़ और पूंजी: ₹4.48 करोड़) का व्यय किया है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा इस मामले को राज्य सरकार के सामने उठाया गया है।

(ii) अनाधिकृत लघु शीर्ष का संचालन:

2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष-'0220-सूचना एवं प्रचार' और उप-मुख्य शीर्ष-'01-फिल्म्स' के अंतर्गत अनाधिकृत लघु शीर्ष '103- सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स नियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ' संचालित किया और लघु शीर्ष-103 के अंतर्गत ₹9,000 की वर्गीकृत राजस्व प्राप्तियाँ की।

(iii) बजट प्रावधानों के वर्णन में विसंगति एवं गलत वर्गीकरण:

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में वेतन, लघु कार्य और व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के संबंध में व्यय का सही वर्गीकरण नहीं दर्शाया गया है: इन प्रयोजनों पर व्यय को राजस्व शीर्ष के बजाय पूँजीगत शीर्ष के तहत लेखे में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण पैरा 3 (।।) राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण में दर्शाया गया है।

3. समेकित निधि:

(i) वस्तु एवं सेवा कर:

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का जीएसटी संग्रह वर्ष 2021-22 में जीएसटी संग्रहण ₹19,264.15 करोड़ की तुलना में ₹23,242.93 करोड़ था, इस प्रकार इसमें ₹3,978.78 करोड़ (20.65 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। इसमें ₹707.07 करोड़ आईजीएसटी का अग्रिम अंश शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य को शुद्ध

आगम की हिस्सेदारी में ₹26,989.02 करोड़ प्राप्त हुए। जीएसटी के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹50,231.95 करोड़ हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को जीएसटी के कार्यान्वयन से हुए राजस्व नुकसान के कारण ₹183.66 करोड़ का मुआवजा प्राप्त हुआ।

(ii) राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण:

वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार सरकार ने गलत तरीके से ₹0.42 करोड़ के व्यय को राजस्व अनुभाग के बजाय पूँजीगत अनुभाग के तहत दर्ज किया, जोकि व्यय के उद्देश्य को देखने से निर्धारित होता है। इसलिए राजस्व व्यय ₹0.42 करोड़ से कम बताया गया है। इस गलत वर्गीकरण का प्रभाव, पैराग्राफ 7 के अंतर्गत दिया गया है।

(iii) सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बीच प्राप्तियों और व्यय का समाधान:

सभी नियंत्री अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बिहार द्वारा दिए गए आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹1,43,135.46 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 82.89 प्रतिशत) की प्राप्तियों और ₹1,63,284.02 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 75.77 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया है।

विगत वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹1,33,814.05 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 84.27 प्रतिशत) की प्राप्तियों एवं ₹20,606.37 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 11.27 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया था।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत:

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ को तभी व्यवहार में लाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखे को अस्पष्ट करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखे के 41 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹732.44 करोड़ को लेखे में '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,72,688.02 करोड़) का 0.42 प्रतिशत था। हालांकि, 18 मुख्यशीर्षों के अंतर्गत लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्रविष्टियाँ 10 प्रतिशत (इनमें से 7 मामलों में 95 प्रतिशत से अधिक) से अधिक थी।

विगत 2021-22 के दौरान, लेखे के 41 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹825.08 करोड़ को लेखे में 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,58,797.33 करोड़) का 0.52 प्रतिशत था। हालांकि, 18 मुख्यशीर्षों के अंतर्गत लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्रविष्टियाँ 10 प्रतिशत (इनमें से 6 मामलों में 95 प्रतिशत से अधिक) से अधिक थी।

(v) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते में निधि का अंतरणः

नामित आहरण अधिकारी किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पी.डी. खाते से व्यय करने हेतु सक्षम है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,233.09 करोड़ की राशि पी.डी. खाते में अंतरित की गयी। इसमें मार्च 2023 में अंतरित ₹149.56 करोड़ की राशि शामिल है।

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 353 के अनुसार, 59 पी.डी. प्रशासकों द्वारा वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुतीकरण के लिए कोषागार अधिकारी को उपलब्ध कराए गए। कोषागार के साथ शेष राशि के मिलान संबंधित सूचना पी.डी. प्रशासकों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

31 मार्च 2023 तक पी.डी. खाते से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है -

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2022 तक आदि शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद/ निकासी		31 मार्च 2023 तक अंत शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
212	4,040.21	32	1,229.60[@]	02	1,411.76[@]	242[$]	3,858.05[#]

नोट-

[$]पाँच पीडी खाते, जिनमें शेष ₹1.54 करोड़ राशि अब तक सी.एफ.एम.एस. में अंतरित की जानी है, 242 पीडी खातों के अतिरिक्त हैं।

[@]वर्ष के दौरान, सी.एफ.एम.एस के अनुसार धन ऋण ज्ञापन में ₹1,229.60 करोड़ की प्राप्तियाँ एवं ₹1,411.76 करोड़ के भुगतान दिखाए गए हैं।

[#]विवरणी संख्या-21 में मुख्यशीर्ष-8443-106 के अंतर्गत दर्शाया गया, ₹8.01 करोड़ का अंतर समाधान के अधीन है।

31 मार्च 2022 तक पी.डी. खाते से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2021 तक आदि शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद/ निकासी		31 मार्च 2022 तक अंत शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
252	3,811.52	42	1,250.60	82	1,021.91	212	4,040.21

(vi) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रः

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 177 में यह निदेशित है कि कोषागार से मांग के पूर्वानुमान अथवा बजटीय अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए। आकस्मिक परिस्थिति में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से राशि निकालने के लिए प्राधिकृत हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 194 के अनुसार, डीडीओ द्वारा जिस माह में कोषागार से अग्रिम लिया गया था, उसके पूरा होने से छह महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों (वाउचर) सहित विस्तृत आकस्मिक (डीसीसी) विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹6,149.29 करोड़ के कुल 4,382 ए.सी. विपत्रों में से मार्च 2023 में ₹2,106.98 करोड़ (34.26 प्रतिशत) की राशि की निकासी 1,209 ए.सी. विपत्रों द्वारा की गयी। 31 मार्च 2023 तक ₹7,489.05 करोड़ की राशि के कुल 27,392 एसी विपत्रों के संबंध में डीसी विपत्र प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2023 तक असमायोजित एसी विपत्रों के लंबित डीसी विपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित एसी विपत्रों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	26,574#	6,450.17
2022-23	818	1,038.88
कुल	**27,392**	**7,489.05**

*सितम्बर 2022 तक निकासित एसी विपत्रों को लिया गया है।

#पिछले वर्ष की तुलना में, 646 एसी बिलों की वृद्धि, सितंबर 2021 के बाद लेखे में जुड़े एसी बिलों के कारण हुई है।

31 मार्च 2022 तक असमायोजित एसी बिलों का विवरणी इस प्रकार है:

वर्ष	असमायोजित एसी विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	25,101	6,859.68
2021-22	827	770.05
कुल	**25,928**	**7,629.73**

(vii) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का प्राप्त न होना:

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 271 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), अनुदान प्राप्त करने वाले प्राधिकारी को अनुदान प्राप्त करने की तारीख से 18 महीने के अंदर या उसी प्रयोजन पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने के पूर्व, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बात का जोखिम है कि वित्त लेखे में उल्लेखित राशि संभवत: लाभार्थियों तक नहीं पहुँची थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 31.03.2023 तक की अवधि के लिए 9,374 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित ₹1,09,093.32 करोड़ की राशि समायोजित की गई। 31.03.2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	16,348	52,063.17
01.04.2020 से 30.09.2021	25,407	35,884.71
कुल	**41,755**	**87,947.88**

*उपर्युक्त वर्णित वर्ष 'लंबित वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹79,940.88 करोड़ की राशि के 21,686 जीआईए बिल जोड़े गये है।

31.03.2022 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018 -19 तक	3,641	54,102.75
01.04.2019 से 31.08.2020	19,547	45,076.14
कुल	**23,188**	**99,178.89**

(viii) ब्याज समायोजन:

सरकार ज-आरक्षित निधि (क. ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ), ट-जमा तथा अग्रिम (क.ब्याज सहित जमा) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज के भुगतान/समायोजन करने हेतु उत्तरदायी है और इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट उप-मुख्य शीर्षों को मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में स्थान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा इन निधियों/जमाओं और भुगतान किए गए ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	ब्याज की गणना का आधार	बकाया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज
सरकारी कर्मचारी के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	217.64	ब्याज की गणना सामान्य भविष्य निधि पर देय/सरकार द्वारा अधिसूचित 7.1 प्रतिशत की दर से की गई है।	15.45	शून्य
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	566.71	ब्याज की गणना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 3.35 प्रतिशत की दर से की गई है।	18.98	शून्य
राज्य आपदा रिस्पॉस निधि	229.06	ब्याज की गणना 7.49 प्रतिशत ब्याज दर पर (अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज की औसत दर 2 प्रतिशत अतिरिक्त) की गई है।	17.16	शून्य
राज्य आपदा शमन निधि	245.72	ब्याज की गणना 7.49 प्रतिशत ब्याज दर पर (अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज की औसत दर 2 प्रतिशत अतिरिक्त) की गई है।	18.40	शून्य
कुल	**1,259.13**		**69.99**	**शून्य**

₹69.99 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया है।

(ix) सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ:

राज्य सरकार ने गारंटी मोचन कोष नहीं बनाया है। दिनांक 1 अप्रैल 2022 को बकाया गारंटी ₹25,069.78 करोड़ (मूलधन: ₹24,654.88 करोड़ एवं ब्याज: ₹414.90 करोड़) थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने ₹25,159.20 करोड़ की गारंटियाँ जारी की तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से प्राप्य गारंटी कमीशन ₹32.44 करोड़ था। यह वर्ष 2022-23 के दौरान गारंटीकृत राशि का 0.13 प्रतिशत है। विवरण वित्त लेखा खण्ड-। एवं ।। की विवरणी- 09 एवं 20 में क्रमशः दिया गया है।

(x) पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण पर व्यय:

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण पर किए गए व्यय को वित्त लेखे में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षो के लघु शीर्ष स्तर तक दर्शाया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार सरकार ने मुख्य शीर्षो 2215, 2217, 2406, 2852, 3435, 4202, 4215 एवं 4711 के अंतर्गत ₹19,352.57 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹6,018.45 करोड़ का व्यय किया। विगत वर्ष के दौरान सरकार ने मुख्य शीर्षो 2215, 2217, 2406, 2810, 2852, 3435, 4202, 4215 एवं 4711 के अंतर्गत ₹9,782.87 करोड़ के बजट आवंटन के विरूद्ध ₹5,842.47 करोड़ का व्यय किया।

(xi) अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय:

वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार सरकार ने मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं (अर्थात् कोविड-19 महामारी) से संबंधित राहत कार्यो पर ₹213.64 करोड़ (विगत वर्ष 2021-22 में ₹981.64 करोड़) का राजस्व व्यय किया।

सरकार को इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान/केंद्रीय सहायता आदि जैसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) केंद्रीय ऋणों का अपलेखन:

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर फरवरी 2012 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ने केंद्रीय योजना एवं केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रति 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अग्रिमों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अग्रिम ऋणों को अपलेखित कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश लागू होने की तिथि (31 मार्च 2010) से मूलधन एवं ब्याज के अधिक भुगतान को समायोजित करने की स्वीकृति दी है तथा भविष्य में वित्त मंत्रालय को पुनर्भुगतान के लिए इसे लागू किया। बिहार सरकार ने 31 मार्च 2023 तक ₹11.52 करोड़ (मूलधन: ₹5.30 करोड़, ब्याज: ₹6.22 करोड़) का अधिक भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹7.06 करोड़ का समायोजन किया है और ₹4.46 करोड़ अभी भी समायोजित किए जाने हैं।

(xiii) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण:

₹19,811.56 करोड़ के पुराने ऋणों (जिनके विस्तृत लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा रखे जाते हैं) के संबंध में पिछले कई वर्षो के दौरान मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं की गई है और 236 ऐसे ऋण हैं,जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं के ₹787.59 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 में) तथा ₹1,417.57 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23 में) के ऋणों के पुनर्भुगतान के नियम और शर्तों का निपटान नहीं किया गया है (विस्तृत विवरण वित्त लेखे खण्ड-II की विवरणी 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में हैं)। परिणामतः, इस संबंध में राज्य सरकार की प्राप्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से सत्यापन और स्वीकृति के लिए ऋण संस्वीकृत करने वाले विभागों को ऋण शेषों (जहाँ विस्तृत खातों का रखरखाव महालेखाकार द्वारा किया जाता है) सूचित करते हैं। 34 विभागों/ऋणदाताओं में केवल 04 ने शेष राशियों की पुष्टि की है। शेष राशियों के मिलान के लिए विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का ब्यौरा वित्त लेखे-II की परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

(xiv) वचनबद्ध देयताएँ:

बारहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में, केंद्र सरकार द्वारा एक्रूअल आधारित लेखांकन की पहल की गई है। हालांकि, लेखांकन के एक्रूअल आधार में बदलाव के लिए परिवर्तन चरणबद्ध होता है तो निर्णय में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में नकद लेखांकन पद्धति में विवरणी के रूप में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं जोड़ी जानी आवश्यक हैं। राज्य सरकार को बचनबद्ध देयताओं पर सूचनाएं प्रस्तुत करनी होती हैं, हालांकि, राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(xv) ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का नवीनीकरण:

योजना/गैर-योजना वर्गीकरण के विलय के फलस्वरूप, केंद्रीय सहायता को अब केंद्रीय सहायता/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2023 को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय ₹57,512.64 करोड़ (राजस्व व्यय: ₹52,673.14 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय: ₹4,839.50 करोड़) है जिसमें केंद्रीय सहायता में से व्यय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यांश शामिल है।

(xvi) राज्य में कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को केंद्रीय योजना निधियों का सीधे अंतरण (राज्य बजट के बाहर परिचालित निधि):

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 2022-23 के दौरान राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹24,305.18 करोड़ (₹24,302.19 करोड़ मध्यस्थों को और ₹2.99 करोड़ सीधे लाभार्थियों को) सीधे प्राप्त हुए, जिसमें मध्यस्थों/लाभार्थियों को हस्तांतरण शामिल है।

वर्ष 2021-22 की तुलना में में कार्यान्वयन अभिकरणें को राशि का सीधा अंतरण 27.12 प्रतिशत (2021-22 में ₹19,117.31 करोड़ से 2022-23 में ₹24,302.19 करोड़) बढ़ा है। विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में दिए गए है।

(xvii) राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ:

ऑफ-बजट उधार सरकार भार है क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताएँ नहीं दर्शाती है। हालांकि, राज्य सरकार (31.03.2023 तक) ने दो पीएसयू यथा बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसी) एवं बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (बीआरआरडीए) को ऑफ-बजट देयताओं के रूप में ₹2,077.60 करोड़ की राशि प्रदान की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	गारंटी राशि	सूचना का स्रोत
1.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, (पथ निर्माण विभाग)	1,206.77	राज्य सरकार
2.	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (ग्रामीण कार्य विभाग)	870.83	राज्य सरकार
कुल		**2,077.60**	

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने ऑफ-बजट उधार के कारण सहायता/अनुदान के रूप में ₹180.05 करोड़ प्रदान किए। ऑफ-बजट उधार के अलावा, लागत की वसूली न होने के कारण बिजली कंपनियों को ₹7,801 करोड़ की अंतर्निहित सब्सिडी भी वर्ष में प्रदान की गई थी। ये राजकोषीय संतुलन को प्रभावित करते हैं।

(xviii) सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में राशि का अंतरण:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत धन जारी करने और सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए एसएनए की स्थापना अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में उसके बैंक खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय अंश को राज्यांश के साथ संबंधित एसएनए के खाते में अंतरित करना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्रांश के रूप ₹22,481.46 करोड़ कोषागार खातों में प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त ₹22,231.91 करोड़ का केन्द्रांश और ₹14,190.40 करोड़ का राज्यांश

एसएनए को अंतरित कर दिया। ₹36,422.31 करोड़ के कुल अंतरण में से ₹745.69 करोड़ एसी बिलों के माध्यम से, ₹29,627.52 करोड़ जीआईए बिलों के माध्यम से, ₹5,996.11 करोड़ पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से और ₹52.99 करोड़ छात्रवृत्ति और वजीफे के बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एजी कार्यालय को एसएनए से प्राप्त नहीं हुए है। जैसा कि राज्य सरकार/एसएनए द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹15,732.06 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

(xix) उचंत लेखा के अंतर्गत लेनदेन की प्रविष्टि:

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2,725.00 करोड़ (राजस्व व्यय: ₹873.05 करोड़ और पूंजीगत व्यय: ₹1,851.95 करोड़) के 11,400 वाउचरों में आपत्ति जताई है। इन वाउचरों को स्वीकृति आदेशों/पेंशन भुगतान दस्तावेजों/चलंत बिलों/उप-वाउचरों आदि के अभाव में उचंत खातों में रखा गया है। 2022-23 के दौरान पिछले वर्षो से संबंधित ओबी उचंत के ₹3,713.42 करोड़ (राजस्व: ₹2,206.05 करोड़ और पूंजी: 1,507. 37 करोड़) समाशोधित किए गए हैं।

4. आकस्मिक निधि:

बिहार आकस्मिकता निधि नियम, 1953, बिहार की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, धन के भुगतान और उसमें से धन की निकासी से जुड़े या सहायक सभी मामलों को विनियमित करते हैं। बिहार राज्य की आकस्मिक निधि में ₹350.00 करोड़ की समग्र निधि है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2023 की अवधि के लिए अस्थाई आधार पर समग्र निधि को ₹350.00 करोड़ से ₹9,500.00 करोड़ (₹350.00 करोड़+₹9,150.00 करोड़) तक बढ़ा दिया। मुख्य शीर्ष 8000 के अधीन ₹9,150.00 करोड़ की राशि जमा की गई है। 30 मार्च 2023 के बाद, उतनी ही राशि (₹9,150.00 करोड़) मुख्य शीर्ष 8000 के नामे डाली गई और 31 मार्च 2023 को बिहार राज्य की आकस्मिक निधि में ₹350.00 करोड़ समग्र निधि है।

5. लोक लेखा:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):

वर्ष 2022-23 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल अंशदान की राशि ₹2,649.81 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹1,106.56 करोड़ एवं सरकार का अंशदान ₹1,543.25 करोड़) थी। सरकार के योगदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखा खंड-II की विवरणी संख्या 15 में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखा में ₹2,649.81 करोड़ अंतरित किए। एनपीएस में सरकार का योगदान ₹5.93 करोड़ कम था (सरकार का अपेक्षित योगदान: ₹1,549.18 करोड़ @14%), जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को उस सीमा तक कम बताया गया है।

(ii) (अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँः

(क) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ):

राज्य आपदा मोचन निधि (मुख्य शीर्ष 8121-'सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत जो ब्याज सहित अनुभाग के अंतर्गत है) के गठन एवं प्रबंधन पर दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹1,189.60 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का अंश ₹396.80 करोड़ है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अंतर्गत निधि में ₹2,625.36 करोड़ (केन्द्रांशः ₹1,189.60 करोड़, राज्यांशः ₹396.80 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 में एनडीआरएफ के रूप में प्राप्त ₹1,038.96 करोड़) अंतरित किए। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार से एनडीआरएफ की राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ):

राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन (जुलाई 2022) किया है। यह कोष अनन्य रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) दिशा-निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदाओं के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹148.70 करोड़ प्राप्त हुए, जिन्हें मुख्य शीर्ष 8121-130 एसडीएमएफ के अंतर्गत अंतरित किया जाना है। हालांकि, राज्य सरकार ने ₹377.60 करोड़ (केन्द्रांशः ₹283.20 करोड़ और राज्यांशः ₹94.40 करोड़ जो पिछले वर्ष 2021-22 से संबंधित है) मुख्य शीर्ष 8121-130-एसडीएमएफ में अंतरित किये। ₹148.70 करोड़ का अंतरण न होने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय कम बताया गया है, जैसा कि पैराग्राफ 7 में वर्णित है।

(ग) राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधिः

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारों को राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित अनुभाग के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों से राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि से कोई राशि (पिछले वर्ष ₹43.64 करोड़ प्राप्त हुए) नहीं प्राप्त हुई है। 31 मार्च 2023 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष ₹566.71 करोड़ था।

(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँः

(क) समेकित निक्षेप निधिः

बिहार सरकार ने मार्च 2009 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत तक की अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋणः ₹1,82,855.32 करोड़+लोक लेखाः ₹48,596.93 करोड़) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत समेकित निक्षेप निधि में योगदान कर सकते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने ₹1,288.00 करोड़ (अपेक्षित योगदान ₹1,157.26 करोड़) का योगदान दिया है। 31 मार्च 2023 तक निधि का कुल संचय ₹8,320.73 करोड़ (मूलधन: ₹7,028.12 करोड़+ब्याज: ₹1,292.61 करोड़) था।

(ख) गारंटी मोचन निधि:

राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद 31 मार्च 2023 तक गारंटी मोचन निधि नहीं बनायी है। 31 मार्च 2023 तक बकाया गारंटियाँ ₹25,939.25 करोड़ (मूलधन: ₹25,256.75 करोड़ एवं ब्याज: ₹682.50 करोड़) है।

(ग) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ):

भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31.03.2018 के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। सीआरआईएफ का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास और रखरखाव आदि के लिए किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में राज्य द्वारा केंद्र से प्राप्त अनुदान को शुरू में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा 103-केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से प्राप्तियाँ में अंतरित किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को सीआरआईएफ के लिए ₹226.47 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और उसे निधि में अंतरित कर दिया गया।

(iii) उचंत शेष:

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया राशि, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर निकाली जाती है। 31 मार्च 2023 को मुख्य शीर्ष 8658 और 8782 के अंतर्गत बकाया राशियाँ ₹14,416.21 करोड़ (डेबिट) और ₹1,123.08 करोड़ (डेबिट) थी। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशि का असमाशोधन राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष (जो वर्ष-दर-वर्ष आगे ले जाए जाते हैं) की सटीकता को प्रभावित करता है।

(iv) चेक और बिल:

मुख्य शीर्ष 8670-चेक और बिल के अंतर्गत जमा शेष, जारी किए गए लेकिन बिना भुगताए गये चेक को दर्शाता है। 01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष राशि ₹207.48 करोड़ (क्रेडिट) थी। 2022-23 के दौरान, ₹1,88,540.91 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिनसे ₹1,88,577.08 करोड़ की राशि को भुनाया गया और 31 मार्च 2023 को ₹171.31 करोड़ (क्रेडिट) की अंतिम राशि शेष थी। अंतिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक बिहार सरकार को कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ, को दर्शाता है।

(v) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरः

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर वसूलने एवं संग्रह करने हेतु भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) लागू किया।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443-108 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹104.95 करोड़ (2020-21 में ₹116.97 करोड़ और 2021-22 में ₹122.23 करोड़) संग्रह किए और ₹92.91 करोड़ (2020-21 में ₹31.44 करोड़ और 2021-22 में ₹51.41 करोड़) बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित किए। इस प्रकार, मुख्य शीर्ष 8443-108 से अअंतरित राशि 31 मार्च 2022 के ₹246.11 करोड़ की अपेक्षा 31 मार्च 2023 को ₹258.15 करोड़ थी।

(vi) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभारः

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016, की धारा 6 बी के अनुसार, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 'बिहार सड़क सुरक्षा निधि' नामक एक निधि स्थापित कर सकती है। हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निधि नहीं बनायी गयी है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने 0041-00-102-0002 के अंतर्गत, सड़क सुरक्षा उपकर के रूप में ₹159.13 करोड़ (2020-21: ₹115.04 करोड़ और 2021-22: ₹132.29 करोड़) संग्रहित किए।

(vii) प्रतिकूल शेषः

वर्ष 2022-23 के दौरान खातों में प्रदर्शित होनेवाली ऋणात्मक शेष राशियाँ नीचे दी गई हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत ऋण शेष गलत वर्गीकरण के कारण थे और समीक्षा/सुधार के अधीन हैं।

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष राशि
8011-107- बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	जीवन बीमा एवं पेंशन निधि	(-)99.71
8336-800- अन्य जमा	सिविल जमा	(-)0.55

(viii) रोकड़ शेषः

महालेखाकार (लेखा एवं हक०) के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक नगद शेष राशि ₹805.90 करोड़ (डेबिट) थी और आरबीआई की सूचना के अनुसार ₹193.62 करोड़ (क्रेडिट)थी। मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों के द्वारा लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग और गैर-मिलान के कारण ₹612.28 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर था। अंतर मिलान के अधीन है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक०) के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक नगद शेष राशि ₹671.24 करोड़ (डेबिट) थी और आरबीआई की सूचना के अनुसार ₹14.20 करोड़ (क्रेडिट)थी। ₹657.04 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर, मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों के द्वारा लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग और गैर-मिलान के कारण था।

(ix) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय):

बिजली वितरण कंपनियों के लिए पुनरूद्धार पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 में ₹1,554.52 करोड़ और वर्ष 2016-17 में ₹777.26 करोड़ के बांड जारी कर सहभागी ऋणदाता बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹2,331.78 करोड़ की सीमा तक डिस्कॉम्स के ऋण को ले लिया। यह राशि वर्ष 2016-17 में वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में अंतरित की गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने उदय के अंतर्गत जारी बांडों पर ₹233.17 करोड़ के मूलधन और ₹175.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया है।

6. राज्य के विशेष मुद्दे:

(क) पेंशन देनदारियों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का बंटवारा: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 53 अंतर्गत आठवीं अनुसूची के संदर्भ में, बिहार और झारखंड के उत्तराधिकारी राज्यों के कर्मचारियों की पेंशन देनदारियाँ 15 नवंबर 2000 (बिहार और झारखंड राज्यों के विभाजन की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक और प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उत्तराधिकारी राज्य बिहार और झारखंड के बीच विभाजित की जाएगी। हालाँकि, 18 जून 2018 को गृह सचिव, भारत सरकार, की अध्यक्षता में बिहार सरकार और झारखंड सरकार के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, उत्तराधिकारी राज्यों के बीच पेंशन देनदारियों को जनसंख्या अनुपात यानी 645.30:218.44 के आधार पर विभाजित किया जाएगा। बिहार सरकार को 31 मार्च 2021 तक कुल प्राप्य राशि ₹2,451.13 करोड़ में से वर्ष 2018-19 तक ₹1,493.95 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। हालाँकि, 06.02.2023 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड सरकार को पूर्व निर्णय के अनुसार जनसंख्या अनुपात के आधार पर भुगतान फिर से प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेष राशि का आवंटन: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 उस तरीके का प्रावधान करता है जिससे 15 नवंबर 2000 (बिहार और झारखंड के राज्यों के विभाजन की तारीख) से उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखंड के बीच शेष राशि का वितरण किया जाना है। 14 नवंबर 2000 को पूंजीगत अनुभाग (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋण और अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) के अंतर्गत प्रगतिशील व्यय के रूप में और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा निधि को छोड़कर भाग III लोक लेखे के तहत शेष को 15 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2001 की अवधि के लिए बिहार के वित्त लेखे में आदि शेष के रूप में अंतरित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए नकद शेष और सार्वजनिक ऋण के तहत शेष को विभाजित किया गया है, पूंजी अनुभाग के तहत शेष ₹11,935.23 करोड़, ऋण तथा अग्रिम के तहत शेष ₹6,583.36 करोड़ और लोक लेखा के तहत शेष ₹7,369.90 करोड़ (क्रेडिट ₹9,760.42 करोड़ एवं डेबिट ₹2,390.52 करोड़) अनिर्धारित रहे। वित्त लेखे 2022-23 के परिशिष्ट-XIII में विवरण दिए गए हैं।

7. राजस्व व्यय पर प्रभाव: राजस्व व्यय पर गलत वर्गीकरण/राज्य के वित्त पर सांविधिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन का प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध है:

पैरा संख्या	मद	राजस्व व्यय का अतिदर्शित होना (₹ करोड़ में)	राजस्व व्यय का न्यूनदर्शित होना (₹ करोड़ में)
3(ii)	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण		0.42
3(viii)	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज की गैर-अदायगी		15.45
3(viii)	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमाओं पर ब्याज की गैर-अदायगी		18.98
3(viii)	एसडीआरएफ पर ब्याज की गैर-अदायगी		17.16
3(viii)	एसडीएमएफ पर ब्याज की गैर-अदायगी		18.40
5(i)	एनपीएस में नियोक्ता का न्यून अंशदान		5.93
5(ii)(अ)(ख)	केन्द्रीय अनुदान (एसडीएमएफ) का लोक लेखे में गैर-हस्तांतरण		148.70
कुल			**225.04**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/bihar/hi